मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल
Website:www.mpmandiboard.gov.in E-mail:mdmpsamb@gmail.com Tel: 755-2553429

क्रमांक / बोर्ड / एम.आई.एस. / 151 / 2018–19 / 72 भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2019

प्रति,

संयुक्त संचालक / उप संचालक,
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय,
भोपाल, इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, जबलपुर एवं रीवा (म0प्र0)

विषयः–रबी विपणन मौसम 2019–20 में समर्थन मूल्य पर गेंहू उपार्जन नीति।
संदर्भः–उप सचिव, म.प्र.शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभेक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, भोपाल का पत्र कमांक एफ 5–15(1–1क–2019) / 2018 / 29–1, भोपाल दिनांक 14 जनवरी 2019.

–0–

उल्लेखित विषय में मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभेक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, भोपाल का पत्र कमांक एफ 5–15(1–1क–2019) / 2018 / 29–1, भोपाल दिनांक 14 जनवरी 2019 के अनुसार समर्थन मूल्य पर गेंहू उपार्जन का कार्य दिनांक 25 मार्च 2019 से 24 मई 2019 की अवधि में किये जाने के निर्देश है की प्रति सुलभ संदर्भ के लिए संलग्न कर प्रेषित है।

विषय–संदर्भ में दिनांक 01 मार्च 2019 से आपके अंचल की समस्त मण्डियों से जिन्स–गेंहू की दैनिक आवक एवं भाव की जानकारी निर्धारित संलग्न प्रपत्र–01 में संकलित कर एकजाई रूप से मण्डीवार तैयार कराकर ठीक अगले कार्य दिवस में दोपहर 12.00 बजे के पूर्व मण्डी बोर्ड, मुख्यालय के ई–मेल programmer.mpmandiboard@gmail.com पर नियमित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें एवं यह प्रकिया निरन्तर रखें।
संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(फैज अहमद किदवई)
प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक / बोर्ड / एम.आई.एस. / 151 / 2018–19 / 73 भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2019
<u>प्रतिलिपि–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।</u>

(01) निज सहायक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
(02) अपर संचालक(प्रागंण / नियमन) मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
(03) सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति————————जिला——————————(म.प्र.)।

प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

वर्ष 2018-19 में प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों में जिन्स - गेहूं की दैनिक आवक एवं भाव की जानकारी

प्रपत्र-01
दिनांक जिसके लिये जानकारी प्रेषित की जा रही है :-

मात्रा - क्विंटल में
भाव - रुपये में

क्रमांक	जिले का नाम	मण्डी का नाम	श्रेणी	गत वर्ष इसी दिनांक को गेहूं की आवक	इस वर्ष इसी दिनांक को गेहूं की आवक (7+8+12+16)	**जिन्स गेहूं** समर्थन मूल्य पर / उससे अधिक पर क्रय मात्रा									**जिन्स गेहूं** समर्थन मूल्य से कम पर क्रय मात्रा				समर्थन मूल्य से कम पर क्रय का कारण	समर्थन मूल्य पर खरीदी में यदि कोई कठिनाई आ रही है तो उसका संक्षिप्त विवरण	गत वर्ष इसी दिनांक को सभी जिन्सों की कुल आवक	इस वर्ष इसी दिनांक को सभी जिन्सों की कुल आवक
						शासकीय संस्थाओं द्वारा क्रय मात्रा	बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा क्रय मात्रा	भाव			व्यापारियों द्वारा क्रय मात्रा	भाव			व्यापारियों द्वारा क्रय मात्रा	भाव						
								न्यूनतम	अधिकतम	मॉडल		न्यूनतम	अधिकतम	मॉडल		न्यूनतम	अधिकतम	मॉडल				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**
1	भोपाल	भोपाल	1																			
2	भोपाल	बैरसिया	1																			
3	सीहोर	आष्टा	1																			
4	सीहोर	सीहोर	1																			
5	सीहोर	नसरुल्लागंज	1																			
6	सीहोर	बकतरा	3																			
7	सीहोर	रेहटी	3																			
8	सीहोर	श्यामपुर	4																			
9	सीहोर	इछावर	4																			
10	सीहोर	जावर	4																			
11	रायसेन	बरेली	1																			
12	रायसेन	औबेदुल्लागंज	1																			
13	रायसेन	उदयपुरा	2																			
14	रायसेन	रायसेन	2																			
15	रायसेन	बेगमगंज	3																			
16	रायसेन	गैरतगंज	3																			
17	रायसेन	सिलवानी	4																			
18	विदिशा	गंजबासोदा	1																			
19	विदिशा	विदिशा	1																			
20	विदिशा	सिरोंज	1																			
21	विदिशा	शमशाबाद	3																			
22	विदिशा	लटेरी	3																			
23	विदिशा	कुरवाई	4																			
24	विदिशा	गुलाबगंज	4																			
25	राजगढ़	ब्यावरा	1																			
26	राजगढ़	पचोर	1																			
27	राजगढ़	नरसिंहगढ़	2																			
28	राजगढ़	कुरावर	2																			
29	राजगढ़	खिलचीपुर	3																			
30	राजगढ़	जीरापुर	3																			
31	राजगढ़	सारंगपुर	3																			
32	राजगढ़	खुजनेर	4																			
33	राजगढ़	छापीहेड़ा	4																			
34	राजगढ़	माचलपुर	4																			
35	राजगढ़	सुठालिया	4																			

वर्ष 2018-19 में प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों में जिन्स - गेहूं की दैनिक आवक एवं भाव की जानकारी

प्रपत्र-01
दिनांक जिसके लिये जानकारी प्रेषित की जा रही है :-

मात्रा - क्विंटल में
भाव - रुपये में

क्रमांक	जिले का नाम	मण्डी का नाम	श्रेणी	गत वर्ष इसी दिनांक को गेहूं की आवक	इस वर्ष इसी दिनांक को गेहूं की आवक (7+8+12+16)	**जिन्स गेहूं** समर्थन मूल्य पर / उससे अधिक पर क्रय मात्रा									**जिन्स गेहूं** समर्थन मूल्य से कम पर क्रय मात्रा				समर्थन मूल्य से कम पर क्रय का कारण	समर्थन मूल्य पर खरीदी में यदि कोई कठिनाई आ रही है तो उसका संक्षिप्त वितरण	गत वर्ष इसी दिनांक को सभी जिन्सों की कुल आवक	इस वर्ष इसी दिनांक को सभी जिन्सों की कुल आवक
						शासकीय संस्थाओं द्वारा क्रय मात्रा	बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा क्रय मात्रा	भाव			व्यापारियों द्वारा क्रय मात्रा	भाव			व्यापारियों द्वारा क्रय मात्रा	भाव						
								न्यूनतम	अधिकतम	मॉडल		न्यूनतम	अधिकतम	मॉडल		न्यूनतम	अधिकतम	मॉडल				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
36	बैतूल	बैतूल	1																			
37	बैतूल	मुलताई	4																			
38	बैतूल	भैंसदेही	4																			
39	हरदा	हरदा	1																			
40	हरदा	टिमरनी	1																			
41	हरदा	खिरकिया	1																			
42	हरदा	सिरालो	4																			
43	होशंगाबाद	पिपरिया	1																			
44	होशंगाबाद	इटारसी	1																			
45	होशंगाबाद	बानापुरा	1																			
46	होशंगाबाद	होशंगाबाद	2																			
47	होशंगाबाद	सेमरीहरचंद	2																			
48	होशंगाबाद	बनखेड़ी	3																			
49	होशंगाबाद	बाबई	4																			
		योग -																				

नोट-
01- अंचल की समस्त मांण्डियों की जानकारी अनिवार्य रुप से प्राप्त कर दी जावे।
02- भाव - न्यूनतम, अधिकतम एवं मॉडल की जानकारी अनिवार्य रुप से दी जावे।
03- मण्डी के निर्धारित क्रम अनुसार ही जानकारी दी जावे।
04-समर्थन मूल्य से कम बिकने के कारणों को अनिवार्य रुप से दर्शाया जावे।

50	इंदौर	इंदौर	1																			
51	इंदौर	सांवेर	1																			
52	इंदौर	महू	2																			
53	इंदौर	गौतमपुरा	3																			
54	धार	धार	1																			
55	धार	बदनावर	1																			
56	धार	धामनोद	2																			
57	धार	राजगढ़	2																			
58	धार	मनावर	2																			
59	धार	कुक्षी	2																			
60	धार	गंधवानी	4																			
61	झाबुआ	पेटलावद	3																			
62	झाबुआ	थांदला	3																			
63	झाबुआ	झाबुआ	4																			
64	अलिराजपुर	अलिराजपुर	4																			
65	अलिराजपुर	जोबट	4																			

वर्ष 2018-19 में प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों में जिन्स - गेहूं की दैनिक आवक एवं भाव की जानकारी

प्रपत्र-01
दिनांक जिसके लिये जानकारी प्रेषित की जा रही है :-

मात्रा - क्विंटल में
भाव - रुपये में

क्रमांक	जिले का नाम	मण्डी का नाम	श्रेणी	गत वर्ष इसी दिनांक को गेहूं की आवक	इस वर्ष इसी दिनांक को गेहूं की आवक (7+8+12+16)	**जिन्स गेहूं** समर्थन मूल्य पर / उससे अधिक पर क्रय मात्रा									**जिन्स गेहूं** समर्थन मूल्य से कम पर क्रय मात्रा				समर्थन मूल्य से कम पर क्रय का कारण	समर्थन मूल्य पर खरीदी में यदि कोई कठिनाई आ रही है तो उसका संक्षिप्त विवरण	गत वर्ष इसी दिनांक को सभी जिन्सों की कुल आवक	इस वर्ष इसी दिनांक को सभी जिन्सों की कुल आवक
						शासकीय संस्थाओं द्वारा क्रय मात्रा	बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा क्रय मात्रा	भाव			व्यापारियों द्वारा क्रय मात्रा	भाव			व्यापारियों द्वारा क्रय मात्रा	भाव						
								न्यूनतम	अधिकतम	मॉडल		न्यूनतम	अधिकतम	मॉडल		न्यूनतम	अधिकतम	मॉडल				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
66	खरगोन	खरगोन	1																			
67	खरगोन	सनावद	2																			
68	खरगोन	भीकनगांव	2																			
69	खरगोन	बड़वाह	3																			
70	खरगोन	करही	3																			
71	खरगोन	कसरावद	3																			
72	खरगोन	सेगांव	4																			
73	बड़वानी	सेंधवा	2																			
74	बड़वानी	अंजड़	2																			
75	बड़वानी	खेतिया	3																			
76	बड़वानी	बड़वानी	4																			
77	बड़वानी	बलवाड़ी	4																			
78	खंडवा	खंडवा	1																			
79	खंडवा	हरसूद	3																			
80	खंडवा	पंधाना	3																			
81	बुरहानपुर	बुरहानपुर	1																			
		योग -																				

नोट-
01- अंचल की समस्त मण्डियों की जानकारी अनिवार्य रुप से प्राप्त कर दी जावे।
02- भाव - न्यूनतम, अधिकतम एवं मॉडल की जानकारी अनिवार्य रुप से दी जावे।
03- मण्डी के निर्धारित क्रम अनुसार ही जानकारी दी जावे।
04-समर्थन मूल्य से कम बिकने के कारणों को अनिवार्य रुप से दर्शाया जावे।

82	उज्जैन	उज्जैन	1																			
83	उज्जैन	बड़नगर	1																			
84	उज्जैन	महिदपुर	1																			
85	उज्जैन	तराना	2																			
86	उज्जैन	खाचरोद	2																			
87	उज्जैन	नागदा	3																			
88	उज्जैन	उन्हेल	3																			
89	देवास	देवास	1																			
90	देवास	खातेगांव	1																			
91	देवास	सोनकच्छ	2																			
92	देवास	लोहार्दा	2																			
93	देवास	कन्नोद	3																			
94	देवास	हाटपिपल्या	3																			
95	देवास	बागली	4																			
96	मंदसौर	मंदसौर	1																			
97	मंदसौर	पिपल्या	2																			
98	मंदसौर	शामगढ़	4																			
99	मंदसौर	गरोठ	4																			
100	मंदसौर	सुवासरा	4																			
101	मंदसौर	सीतामऊ	4																			
102	मंदसौर	भानपुरा	4																			
103	मंदसौर	दलोदा	4																			

वर्ष 2018-19 में प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों में जिन्स - गेहूं की दैनिक आवक एवं भाव की जानकारी

प्रपत्र-01
दिनांक जिसके लिये जानकारी प्रेषित की जा रही है :-

मात्रा - क्विंटल में
भाव - रुपये में

क्रमांक	जिले का नाम	मण्डी का नाम	श्रेणी	गत वर्ष इसी दिनांक को गेहूं की आवक	इस वर्ष इसी दिनांक को गेहूं की आवक (7+8+12+16)	**जिन्स गेहूं** समर्थन मूल्य पर / उससे अधिक पर क्रय मात्रा									**जिन्स गेहूं** समर्थन मूल्य से कम पर क्रय मात्रा				समर्थन मूल्य से कम पर क्रय का कारण	समर्थन मूल्य पर खरीदी में यदि कोई कठिनाई आ रही है तो उसका संक्षिप्त वितरण	गत वर्ष इसी दिनांक को सभी जिन्सों की कुल आवक	इस वर्ष इसी दिनांक को सभी जिन्सों की कुल आवक
						शासकीय संस्थाओं द्वारा क्रय मात्रा	बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा क्रय मात्रा	भाव			व्यापारियों द्वारा क्रय मात्रा	भाव			व्यापारियों द्वारा क्रय मात्रा	भाव							
								न्यूनतम	अधिकतम	मॉडल		न्यूनतम	अधिकतम	मॉडल		न्यूनतम	अधिकतम	मॉडल					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
104	नीमच	नीमच	1																			
105	नीमच	मनासा	3																			
106	नीमच	जावद	4																			
107	रतलाम	जावरा	1																			
108	रतलाम	रतलाम	1																			
109	रतलाम	सैलाना	2																			
110	रतलाम	आलोट	3																			
111	रतलाम	ताल	3																			
112	शाजापुर	शुजालपुर	1																			
113	शाजापुर	शाजापुर	2																			
114	शाजापुर	कालापीपल	3																			
115	शाजापुर	मक्सी	3																			
116	शाजापुर	अकोदिया	3																			
117	शाजापुर	मोमनबड़ोदिया	4																			
118	शाजापुर	बेरछा	4																			
119	आगर-मालवा	आगर	1																			
120	आगर-मालवा	नलखेड़ा	3																			
121	आगर-मालवा	सुसनेर	3																			
122	आगर-मालवा	बड़ोद	4																			
123	आगर-मालवा	सोयतकलाँ	4																			
		योग -																				

नोट-
01- अंचल की समस्त मांण्डियों की जानकारी अनिवार्य रुप से प्राप्त कर दी जावे।
02- भाव - न्यूनतम, अधिकतम एवं मॉडल की जानकारी अनिवार्य रुप से दी जावे।
03- मण्डी के निर्धारित क्रम अनुसार ही जानकारी दी जावे।
04-समर्थन मूल्य से कम बिकने के कारणों को अनिवार्य रुप से दर्शाया जावे।

124	दतिया	दतिया	2																			
125	दतिया	सेवढ़ा	3																			
126	दतिया	भाण्डेर	4																			
127	ग्वालियर	डबरा	1																			
128	ग्वालियर	लश्कर	2																			
129	ग्वालियर	भितरवार	4																			
130	गुना	गुना	1																			
131	गुना	कुम्भराज	2																			
132	गुना	आरोन	2																			
133	गुना	बोनागंज	2																			
134	गुना	मकसूदनगढ़	3																			
135	गुना	राघोगढ़	4																			

वर्ष 2018-19 में प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों में जिन्स - गेहूं की दैनिक आवक एवं भाव की जानकारी

प्रपत्र-01
दिनांक जिसके लिये जानकारी प्रेषित की जा रही है :-

मात्रा - क्विंटल में
भाव - रुपये में

क्रमांक	जिले का नाम	मण्डी का नाम	श्रेणी	गत वर्ष इसी दिनांक को गेहूं की आवक	इस वर्ष इसी दिनांक को गेहूं की आवक (7+8+12+16)	**जिन्स गेहूं** समर्थन मूल्य पर / उससे अधिक पर क्रय मात्रा									**जिन्स गेहूं** समर्थन मूल्य से कम पर क्रय मात्रा				समर्थन मूल्य से कम पर क्रय का कारण	समर्थन मूल्य पर खरीदी में यदि कोई कठिनाई आ रही है तो उसका संक्षिप्त विवरण	गत वर्ष इसी दिनांक को सभी जिन्सों की कुल आवक	इस वर्ष इसी दिनांक को सभी जिन्सों की कुल आवक
						शासकीय संस्थाओं द्वारा क्रय मात्रा	बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा क्रय मात्रा	भाव			व्यापारियों द्वारा क्रय मात्रा	भाव			व्यापारियों द्वारा क्रय मात्रा	भाव						
								न्यूनतम	अधिकतम	मॉडल		न्यूनतम	अधिकतम	मॉडल		न्यूनतम	अधिकतम	मॉडल				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**
136	अशोकनगर	अशोकनगर	1																			
137	अशोकनगर	मुंगावली	2																			
138	अशोकनगर	ईसागढ़	4																			
139	अशोकनगर	शाडोरा	4																			
140	अशोकनगर	पिपरई	4																			
140	अशोकनगर	चंदेरी	4																			
142	शिवपुरी	कोलारस	2																			
143	शिवपुरी	बदरवास	3																			
144	शिवपुरी	शिवपुरी	3																			
145	शिवपुरी	पोहरी	3																			
146	शिवपुरी	खनियाधाना	4																			
147	शिवपुरी	करेरा	4																			
148	शिवपुरी	मगरोनी	4																			
149	शिवपुरी	पिछोर	4																			
150	शिवपुरी	खतोरा	4																			
151	शिवपुरी	रन्नोद	4																			
152	शिवपुरी	बेराड	4																			
153	भिण्ड	भिण्ड	3																			
154	भिण्ड	गोहद	3																			
155	भिण्ड	आलमपुर	4																			
156	भिण्ड	लहार	4																			
157	भिण्ड	मेहगांव	4																			
158	भिण्ड	मौ	4																			
159	मुरैना	मुरैना	2																			
160	मुरैना	कैलारस	3																			
161	मुरैना	सबलगढ़	4																			
162	मुरैना	पोरसा	4																			
163	मुरैना	अम्बाह	4																			
164	मुरैना	जोरा	4																			
165	मुरैना	बानमोरकलॉ	4																			
166	श्योपुर	श्योपुरकलॉ	1																			
167	श्योपुर	श्योपुरबड़ोद	4																			
168	श्योपुर	विजयपुर	4																			
		योग -																				

नोट-
01- अंचल की समस्त मांण्डियों की जानकारी अनिवार्य रुप से प्राप्त कर दी जावे।
02- भाव - न्यूनतम, अधिकतम एवं मॉडल की जानकारी अनिवार्य रुप से दी जावे।
03- मण्डी के निर्धारित क्रम अनुसार ही जानकारी दी जावे।
04-समर्थन मूल्य से कम बिकने के कारणों को अनिवार्य रुप से दर्शाया जावे।

वर्ष 2018-19 में प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों में जिन्स - गेहूं की दैनिक आवक एवं भाव की जानकारी

प्रपत्र-01
दिनांक जिसके लिये जानकारी प्रेषित की जा रही है :-

मात्रा - क्विंटल में
भाव - रुपये में

क्रमांक	जिले का नाम	मण्डी का नाम	श्रेणी	गत वर्ष इसी दिनांक को गेहूं की आवक	इस वर्ष इसी दिनांक को गेहूं की आवक (7+8+12+16)	**जिन्स गेहूं** समर्थन मूल्य पर / उससे अधिक पर क्रय मात्रा									**जिन्स गेहूं** समर्थन मूल्य से कम पर क्रय मात्रा				समर्थन मूल्य से कम पर क्रय का कारण	समर्थन मूल्य पर खरीदी में यदि कोई कठिनाई आ रही है तो उसका संक्षिप्त विवरण	गत वर्ष इसी दिनांक को सभी जिन्सों की कुल आवक	इस वर्ष इसी दिनांक को सभी जिन्सों की कुल आवक
						शासकीय संस्थाओं द्वारा क्रय मात्रा	बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा क्रय मात्रा	भाव			व्यापारियों द्वारा क्रय मात्रा	भाव			व्यापारियों द्वारा क्रय मात्रा	भाव						
								न्यूनतम	अधिकतम	मॉडल		न्यूनतम	अधिकतम	मॉडल		न्यूनतम	अधिकतम	मॉडल				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
169	सागर	सागर	1																			
170	सागर	बीना	1																			
171	सागर	खुरई	2																			
172	सागर	देवरी	2																			
173	सागर	गढ़ाकोटा	3																			
174	सागर	रेहली	3																			
175	सागर	बामोरा	4																			
176	सागर	राहतगढ़	4																			
177	सागर	बण्डा	4																			
178	सागर	शाहगढ़	4																			
179	सागर	केसली	4																			
180	सागर	जेसीनगर	4																			
181		मालथौन	4																			
182	दमोह	दमोह	1																			
183	दमोह	पथरिया	3																			
184	दमोह	जबेरा	3																			
185	दमोह	हटा	3																			
186	छतरपुर	हरपालपुर	2																			
187	छतरपुर	छतरपुर	3																			
188	छतरपुर	बड़ामल्हेरा	3																			
189	छतरपुर	राजनगर	4																			
190	छतरपुर	लवकुशनगर "लौड़ी"	4																			
191	छतरपुर	बिजावर	4																			
192	छतरपुर	बकस्वाहा	4																			
193	छतरपुर	नौगांव	4																			
194	पन्ना	पन्ना	3																			
195	पन्ना	अजयगढ़	4																			
196	पन्ना	देवेन्द्रनगर	4																			
197	पन्ना	पवई	4																			
198	पन्ना	सिमरिया	4																			
199	टीकमगढ़	टीकमगढ़	2																			
200	टीकमगढ़	निवाड़ी	3																			
201	टीकमगढ़	जतारा	4																			
202	टीकमगढ़	खरगापुर	4																			
203	टीकमगढ़	पलेरा	4																			
204	टीकमगढ़	पृथ्वीपुर	4																			
		योग -																				

नोट-
01- अंचल की समस्त मांण्डियों की जानकारी अनिवार्य रुप से प्राप्त कर दी जावे।
02- भाव - न्यूनतम, अधिकतम एवं मॉडल की जानकारी अनिवार्य रुप से दी जावे।
03- मण्डी के निर्धारित क्रम अनुसार ही जानकारी दी जावे।
04-समर्थन मूल्य से कम बिकने के कारणों को अनिवार्य रुप से दर्शाया जावे।

वर्ष 2018-19 में प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों में जिन्स - गेहूं की दैनिक आवक एवं भाव की जानकारी

प्रपत्र-01
दिनांक जिसके लिये जानकारी प्रेषित की जा रही है :-

मात्रा - क्विंटल में
भाव - रुपये में

क्रमांक	जिले का नाम	मण्डी का नाम	श्रेणी	गत वर्ष इसी दिनांक को गेहूं की आवक	इस वर्ष इसी दिनांक को गेहूं की आवक (7+8+12+16)	**जिन्स गेहूं** समर्थन मूल्य पर / उससे अधिक पर क्रय मात्रा									**जिन्स गेहूं** समर्थन मूल्य से कम पर क्रय मात्रा				समर्थन मूल्य से कम पर क्रय का कारण	समर्थन मूल्य पर खरीदी में यदि कोई कठिनाई आ रही है तो उसका संक्षिप्त वितरण	गत वर्ष इसी दिनांक को सभी जिन्सों की कुल आवक	इस वर्ष इसी दिनांक को सभी जिन्सों की कुल आवक
						शासकीय संस्थाओं द्वारा क्रय मात्रा	बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा क्रय मात्रा	भाव			व्यापारियों द्वारा क्रय मात्रा	भाव			व्यापारियों द्वारा क्रय मात्रा	भाव						
								न्यूनतम	अधिकतम	मॉडल		न्यूनतम	अधिकतम	मॉडल		न्यूनतम	अधिकतम	मॉडल				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
205	जबलपुर	जबलपुर	1																			
206	जबलपुर	सिहोरा	1																			
207	जबलपुर	शहपुरा "भिटोनी"	1																			
208	जबलपुर	पाटन	4																			
209	कटनी	कटनी	1																			
210	बालाघाट	वारासिवनी	2																			
211	बालाघाट	बालाघाट	3																			
212	बालाघाट	कटंगी	4																			
213	बालाघाट	लालबर्रा	4																			
214	बालाघाट	परसवाड़ा	4																			
215	बालाघाट	मोहगांव	4																			
216	बालाघाट	खैरलांजी	4																			
217	छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा	1																			
218	छिंदवाड़ा	पांढुर्ना	2																			
219	छिंदवाड़ा	चौरई	3																			
220	छिंदवाड़ा	सौंसर	3																			
221	छिंदवाड़ा	अमरवाड़ा	4																			
222	मंडला	मंडला	3																			
223	मंडला	बिछिया	4																			
224	मंडला	नैनपुर	4																			
225	डिंडोरी	गोरखपुर	4																			
226	डिंडोरी	डिंडोरी	4																			
227	डिंडोरी	शहपुरा "निवास"	4																			
228	नरसिंहपुर	गाडरवाड़ा	1																			
229	नरसिंहपुर	करेली	2																			
230	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	2																			
231	नरसिंहपुर	गोटेगांव	2																			
232	नरसिंहपुर	तेंदूखेड़ा	3																			

वर्ष 2018-19 में प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों में जिन्स - गेहूं की दैनिक आवक एवं भाव की जानकारी

प्रपत्र-01
दिनांक जिसके लिये जानकारी प्रेषित की जा रही है :-

मात्रा - क्विंटल में
भाव - रुपये में

क्रमांक	जिले का नाम	मण्डी का नाम	श्रेणी	गत वर्ष इसी दिनांक को गेहूं की आवक	इस वर्ष इसी दिनांक को गेहूं की आवक (7+8+12+16)	**जिन्स गेहूं** समर्थन मूल्य पर / उससे अधिक पर क्रय मात्रा									**जिन्स गेहूं** समर्थन मूल्य से कम पर क्रय मात्रा				समर्थन मूल्य से कम पर क्रय का कारण	समर्थन मूल्य पर खरीदी में यदि कोई कठिनाई आ रही है तो उसका संक्षिप्त विवरण	गत वर्ष इसी दिनांक को सभी जिन्सों की कुल आवक	इस वर्ष इसी दिनांक को सभी जिन्सों की कुल आवक
						शासकीय संस्थाओं द्वारा क्रय मात्रा	बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा क्रय मात्रा	भाव			व्यापारियों द्वारा क्रय मात्रा	भाव			व्यापारियों द्वारा क्रय मात्रा	भाव						
								न्यूनतम	अधिकतम	मॉडल		न्यूनतम	अधिकतम	मॉडल		न्यूनतम	अधिकतम	मॉडल				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**
233	सिवनी	सिवनी	2																			
234	सिवनी	केवलारी	3																			
235	सिवनी	बरघाट	4																			
236	सिवनी	छपारा	4																			
237	सिवनी	घंसौर	4																			
238	सिवनी	लखनादौन	4																			
239	सिवनी	पलारी	4																			
		योग -																				

नोट-
01- अंचल की समस्त मांण्डियों की जानकारी अनिवार्य रुप से प्राप्त कर दी जावे।
02- भाव - न्यूनतम, अधिकतम एवं मॉडल की जानकारी अनिवार्य रुप से दी जावे।
03- मण्डी के निर्धारित क्रम अनुसार ही जानकारी दी जावे।
04-समर्थन मूल्य से कम बिकने के कारणों को अनिवार्य रुप से दर्शाया जावे।

240	रीवा	रीवा	2																			
241	रीवा	बेकुण्ठपुर	4																			
242	रीवा	चाकघाट	4																			
243	रीवा	हनुमना	4																			
244	सतना	सतना	1																			
245	सतना	नागोद	2																			
246	सतना	अमरपाटन	4																			
247	सतना	मैहर	4																			
248	सतना	रामनगर	4																			
249	शहडोल	शहडोल	4																			
250	शहडोल	ब्यौहारी	4																			
251	शहडोल	बुढ़ार	4																			
252	अनूपपुर	अनूपपुर	4																			
253	अनूपपुर	जैतहरी	4																			
254	अनूपपुर	कोतमा	4																			
255	उमरिया	उमरिया	4																			
256	सीधी	सीधी	3																			
257	सिंगरौली	सिंगरौली	4																			
		योग -																				

नोट-
01- अंचल की समस्त मांण्डियों की जानकारी अनिवार्य रुप से प्राप्त कर दी जावे।
02- भाव - न्यूनतम, अधिकतम एवं मॉडल की जानकारी अनिवार्य रुप से दी जावे।
03- मण्डी के निर्धारित क्रम अनुसार ही जानकारी दी जावे।
04-समर्थन मूल्य से कम पर बिकने के कारणों को अनिवार्य रुप से दर्शाया जावे।

मध्यप्रदेश शासन

खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय

क्रमांक एफ 5-15(1-1क-2019)/2018/29-1, भोपाल, दिनांक 14, जनवरी, 2019

प्रति,

1. संचालक,
   खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण,
   मध्यप्रदेश
2. प्रबंध संचालक एवं आयुक्त,
   मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड,
   भोपाल
3. प्रबंध संचालक,
   मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन, भोपाल
4. प्रबंध संचालक,
   मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ,
   भोपाल
5. प्रबंध संचालक,
   मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन,
   भोपाल
6. महाप्रबंधक (क्षेत्र)
   भारतीय खाद्य निगम
   भोपाल
7. प्रबंध संचालक
   मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित,
   भोपाल।
8. समस्त संभागायुक्त,
   मध्यप्रदेश
9. समस्त कलेक्टर,
   मध्यप्रदेश

विषय- रबी विपणन मौसम 2019-20 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन नीति

1. पृष्ठभूमि

1.1. भारत सरकार द्वारा रबी विपणन मौसम 2019-20 के लिए औसत अच्छी गुणवत्ता (FAQ) के गेहूं का **समर्थन मूल्य रू. 1,840** प्रति क्विंटल घोषित किया गया है ।

1.2. समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन हेतु कार्यवाही **परिशिष्ट-1** में दी गई समय-सीमा में की जाए।

2. उपार्जन अवधि

2.1. गेहूं का उपार्जन 25 मार्च, 2019 से 24 मई, 2019 की अवधि में किया जाएगा।

2.2. उपार्जन के साप्ताहिक कार्य दिवस निम्नानुसार होंगे:-

i कृषकों से उपार्जन कार्य सप्ताह में 5 दिवस (सोमवार से शुक्रवार) किया जाएगा; तथा

ii शनिवार एवं रविवार को सप्ताह में शेष स्कंध का परिवहन, भण्डारण, लेखा का मिलान तथा गुणवता विवाद के आधार पर अस्वीकृत स्कंध का अपग्रेडेशन/वापसी का निराकरण किया जाएगा।

2.3. किसी केन्द्र पर अधिकांश कृषकों के द्वारा विक्रय पूर्ण करने पर, संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण द्वारा निर्धारित 'Exit Protocol' के अनुरूप उपार्जन कार्य 2 सप्ताह बाद स्थगित किया जा सकेगा।

3. उपार्जन एजेंसी का निर्धारण एवं क्रियान्वयन तंत्र

3.1. सत्यापित रकबे के औसत उत्पादन के 70% को रबी विपणन मौसम वर्ष 2019-20 हेतु समर्थन मूल्य पर गेहूं की मात्रा का उपार्जन अनुमान माना जावेगा किन्तु प्रारंभिक तैयारी में बारदाना गणना हेतु कृषि विभाग से भी अनुमान प्राप्त किया जाएगा। अनुमानित उपार्जन मात्रा के अनुरूप केन्द्रवार अनुमानित आवक का आंकलन किया जावेगा। इस अनुमानित मात्रा के अनुसार जिलों में बारदाना, साख-सीमा, परिवहन, भण्डारण, निस्तारण एवं पर्यवेक्षण आदि की व्यवस्था बनाने के लिए संबंधित जिले की उपार्जन एजेंसियां उत्तरदायी रहेंगी।

3.2. उपार्जन हेतु दो उपार्जन एजेंसी यथा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ (MARKFED) एवं मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (MPSCSC) होगी, जिनके मध्य जिलों का विभाजन पृथक से किया जाएगा।

3.3. भारत शासन को लेखा एवं दावे प्रस्तुत करने, वित्तीय संव्यवहार करने तथा राज्य स्तर पर नये बारदाने की

व्यवस्था करने हेतु नोडल राज्य उपार्जन एजेंसी MPSCSC होगी।

3.4. MARKFED द्वारा MPSCSC को अपने जिलों में उपार्जित समस्त गेहूं का परिदान दिया जायेगा। उपार्जित गेहूं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से निस्तारण करने का दायित्व MPSCSC का होगा। अतिशेष गेहूं का निस्तारण MPSCSC द्वारा FCI को परिदान देकर किया जाएगा।

3.5. भण्डारण कार्य हेतु नोडल एजेंसी मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लाजिस्टिक कार्पोरेशन (MPWLC) होगी।

3.6. उपार्जन केन्द्र निर्धारित सहकारी संस्थाओं द्वारा संचालित होंगे।

3.7. जिला उपार्जन समिति के अध्यक्ष/कलेक्टर द्वारा उपार्जन प्रबंधन स्वयं के नेतृत्व में किया जाएगा।

3.8. राज्य, संभाग एवं जिला स्तर पर उपार्जन प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण का दायित्व क्रमशः राज्य स्तरीय उपार्जन समिति, संभाग स्तरीय उपार्जन समिति तथा जिला स्तरीय उपार्जन समिति का होगा।

3.9. उपार्जन एवं भुगतान की समस्त व्यवस्था को कम्प्यूटरीकृत करने का दायित्व संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के अधीन 'End to End Computeration' के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का होगा, जो कि e-Uprajan, Civil Supplies Monitoring System (CSMS), Warehousing Management System (WHMS) तथा Public Distribution System (PDS) के चार विभिन्न साफ्टवेयर एप्लीकेशन के निर्धारित प्रोटोकाल अनुसार किया जाएगा।

3.10. नियंत्रक, नापतौल द्वारा इलेक्ट्रानिक तौल काटों के मानक एवं कैलिब्रेशन तथा प्रमाणीकरण के सिद्धांत निर्धारित कर जिलों को निर्देश जारी किये जाएंगे। सभी मंण्डियों, उपार्जन केन्द्रों एवं भण्डरण केन्द्रों के नापतौल उपकरणों एवं धर्म-काटों का सत्यापन एवं प्रमाणीकरण कार्य अपने कार्यपालिक अमले से कराया जाएगा। सत्यापन एवं प्रमाणीकरण कार्य उपार्जन प्रारंभ होने के एक सप्ताह पूर्व पूर्ण कराकर 'e-Uprajan' में दर्ज कराया जाएगा।

4. पंजीयन-उपार्जन केन्द्र स्थल, संस्थाओं का आवंटन एवं उनके दायित्वों का निर्धारण

पंजीयन केन्द्र स्थल का चयन

4.1. सामान्यतः 20 हजार जनसंख्या (वर्ष 2011 की ग्रामीण जनसंख्या) के आधार पर प्रत्येक जिले के लिए पंजीयन केन्द्र संख्या की गणना संचालक, खाद्य द्वारा किया जाएगा। कृषक पंजीयन संख्या एवं उस केन्द्र पर अनुमानित उपार्जन मात्रा के आधार पर तदोपरांत पात्र केन्द्रों को उपार्जन केन्द्र के रूप में निर्धारित किया जा सकेगा।

4.2. पंजीयन केन्द्र स्थल का निर्धारण जिला उपार्जन समिति द्वारा 'ई-उपार्जन साफ्टवेयर' (e-Uparjan) में निम्न मापदण्डों के दृष्टिगत निर्धारण किया जाए:-

i तहसीलवार केन्द्र संख्या, ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात में हो; तथा

ii तहसील के बड़ी जनसंख्या वाले ग्राम चिन्हित करने उपरांत उनसे 5-10 पंचायतों को संबद्ध करें, जिससे कृषकों को सामान्यतः पंजीयन हेतु 25 कि.मी. से अधिक दूरी न तय करनी पड़े।

उपार्जन केन्द्र स्थल का चयन

4.3. उपार्जन केन्द्र स्थल चयन की प्रक्रिया 'Procurement Centre Protocol' के अनुरूप होगी, जिसमें पंचायत की मैपिंग का आधार विगत वर्ष का legacy data तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 12(2)(छ) के अनुरूप विकेन्द्रीकृत स्थानीय वितरण (TPDS) आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। Procurement Center Protocol की मुख्य डाटा इन्ट्री DSO login से संचालित होगी।

4.4. पंजीयन उपरांत कृषक संख्या एवं उपज मात्र ज्ञात होने पर जिन्सवार केन्द्र निर्धारण हेतु संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण द्वारा प्रत्येक जिले हेतु अधिकतम केन्द्रों की संख्या नियत की जाएगी।

4.5. उपार्जन केन्द्र स्थल का निर्धारण जिला उपार्जन समिति द्वारा निम्नानुसार किया जायेगा:-

i सामान्यतः गोदाम परिसर पर खोला जाए;

ii केन्द्र पर पूर्ण पंचायत ही टैग की जाए;

iii प्रत्येक विकासखण्ड में कम से कम एक केन्द्र खोला जाए;

iv कृषकों की संख्या यथासंभव 200 से 750 तक रखी जाए, पंचायत क्षेत्र की पूर्णता संख्या के दृष्टिगत संचालक, खाद्य कृषक संख्या में कमी अथवा वृद्धि 50% तक कर सकेंगे;

v सामान्यतः किसी भी केन्द्र पर 5,000 मे.टन से अधिक मात्रा का उपार्जन न किया जाए; तथा

vi यथासंभव सम्बद्ध ग्राम पंचायतों के केन्द्र बिन्दु में हो, जिससे कृषकों को लगभग 25 कि.मी. से अधिक की दूरी

तय न करनी पड़े।

केन्द्र (पंजीयन एवं उपार्जन) संचालन हेतु संस्थाओं की पात्रता एवं चयन प्रक्रिया

4.6. केन्द्र संचालन के लिये उपार्जन एजेंसी के जिला अधिकारी द्वारा संस्थाओं से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए जाएगे।

4.7. केन्द्रों का संचालन निम्न पात्र संस्थाऐं कर सकेंगी :-

i. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से सम्बद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम,1960 के अंतर्गत पंजीकृत प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं/वृहत्ताकार कृषि साख सहकारी संस्थाओं/आदिम जाति सेवा सहकारी संस्थायें; अथवा

ii. आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयन सहकारी संस्थाएं के आदेश क्रमांक/विपणन/2013/869, दिनांक 27.05.2013 में उल्लेखित ब्लाक स्तरीय विपणन सहकारी संस्थायें।

4.8. जिला उपार्जन समिति द्वारा निम्न आधार पर संस्थाओं की पात्रता की जांच की जाएगी:-

i. संस्था के पास पर्याप्त भौतिक एवं वित्तीय संसाधन तथा साख सीमा (अनुमानित उपार्जन के प्रासंगिक एवं कमीशन मूल्य का 40%) उपलब्ध हों;

ii. विगत दो रबी विपणन वर्ष (2017-18 व 2018-19) एवं दो खरीफ विपणन वर्ष (2017-18 व 2018-19) में संतोषजनक कार्य किया गया हो, जिसके अनुसार :-

क. उपार्जित मात्रा एवं स्वीकृत मात्रा में 0.25% से अधिक का औसत अंतर न हो;

ख. असामनक स्तर की उपार्जन मात्रा कुल उपार्जन मात्रा की 1% से अधिक न हो;

ग. प्रमाणित गंभीर अनियमितता व कृषक भुगतान में विलंब न हो;

घ. ऑफलाईन मोड में कार्य न किया हो;

ड. परिवहनकर्त्ता को स्कंध बिना तौले सौंपा अथवा परिवहन न किया गया हो; तथा

च. तहसील में पर्याप्त पात्र संस्थाओं के अभाव में संचालक, खाद्य द्वारा पात्रता मापदण्ड में छूट दी जा सकेगी।

iii. नवीन संस्था जिसके पास पर्याप्त संसाधन हो तथा जिसके कर्मचारी एवं प्रबंधक पूर्व वर्षों में अपात्र संस्थाओं में कार्यरत न रहे हों, तथा

iv. DMO-Markfed, DM-MPSCSC, जिला प्रभारी-MPWLC एवं GM-DCCB से राय प्राप्त कर उप/सहायक आयुक्त, सहकारिता द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।

4.9. जिला उपार्जन समिति की उप-समिति (DRCS, GM-DCCB, DM अथवा DMO, DSO) सभी पात्र संस्थाओं की समीक्षा/रेकिंग कर उपयुक्त संस्था के चयन हेतु कलेक्टर को प्रस्तुत कर आदेश प्राप्त करेगी। यदि आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं तब भी कलेक्टर द्वारा स्वयमेव परीक्षण अनुसार उपयुक्त संस्था को कार्य दिया जा सकेगा।

4.10. सामान्यत: संस्था द्वारा एक ही उपार्जन केन्द्र का संचालन किया जाएगा, किन्तु प्रशासनिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत कलेक्टर द्वारा एक संस्था को अधिकतम तीन उपार्जन केन्द्रों का दायित्व सौंपा जा सकेगा।

पंजीयन/उपार्जन केन्द्र संचालन हेतु आवश्यक भौतिक एवं मानव संसाधन

4.11. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन (MD,MPSCSC) द्वारा निर्धारित स्पेसिफिकेशन की भौतिक संसाधन एवं अन्य सुविधाओं की उपलब्धता उपार्जन केन्द्र पर संचालन करने वाली संस्था के द्वारा सुनिश्चित की जाएगी:-

i. हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्शन, एवं निर्बाध विद्युत/ जनरेटर सुविधा;

ii. इलेक्ट्रानिक उपकरण - कम्प्यूटर, प्रिन्टर, डोंगल, स्केनर, UPS, लेपटाप, बैटरी, आदि जो चालू अवस्था में हों;

iii. जन-सुविधाएं यथा- दरियां, टेबल, कुर्सी, पेयजल, शौचालय, छाया, बिजली आदि;

iv. उपार्जन उपकरण यथा- Analog Moisture Meter (केलिब्रेटेड), बड़ा छन्ना, पंखे, परखी आदि;

v. सूचना पटल, उपार्जन बैनर तथा सामान्य जानकारी - FAQ Sample, एफएक्यू गुणवता का मापदंड, भुगतान एवं टोल-फ्री नम्बर का प्रदर्शन;

vi. सुरक्षात्मक सुविधाएं - तिरपाल, कवर, अग्निशमन यंत्र, रेत, बाल्टियां, first-aid box आदि; तथा

vii सम्बद्ध वे-ब्रिज एवं न्यूनतम 4 बड़े इलेक्ट्रानिक तौल कांटे।

4.12 प्रत्येक केन्द्र पर MD,MPSCSC द्वारा निर्धारित क्वालिफिकेशन के मानव संसाधन की उपलब्धता भी केन्द्र संचालन करने वाली संस्था निम्नानुसार करेगी:-

i केन्द्र हेतु नामित अथवा नियोजित प्रबंधन प्रभारी;

ii संस्था द्वारा नियोजित डाटा एन्ट्री आपरेटर जो कि CPCT अथवा डिप्लोमा/डिग्रीधारी व्यक्ति हों;

iii तौल-कांटे संचालन करने हेतु आवश्यक संख्या में तुलावटी एवं हम्माल;

iv वे-ब्रिज की दशा में नियोजित/नामित वे-ब्रिज प्रभारी;

v गोदाम स्थल से अन्यत्र परिसर पर केन्द्र होने से संस्था द्वारा नियोजित गुणवत्ता सर्वेयर; तथा

vi अधिक उपार्जन मात्रा की संभावना वाले केंद्रों में उपार्जन मात्रा के आधार पर अतिरिक्त कर्मचारियों, तौल-कांटों, कम्प्यूटर आदि की व्यवस्था समिति द्वारा स्वयं की आय/कमीशन में से सुनिश्चित की जाएगी।

4.13 प्रत्येक केन्द्र पर (औसतन 100 मे.टन की) दैनिक खरीदी हेतु 4 कैलिब्रेटेड तौल कांटे एवं उनपर MPSCSC द्वारा निर्धारित संख्या तुलावटी की संख्या केन्द्र संचालन करने वाली संस्था के द्वारा किया जाना है।

संस्थाओं की भूमिका

4.14 प्रत्येक पंजीयन तथा उपार्जन केन्द्र हेतु संचालन करने वाली संस्थाएं संबंधित जिले की राज्य उपार्जन एजेंसी के साथ लिखित में अनुबंध करेंगी। जिन गोदाम परिसर, स्टील सायलों, सायलों बैग में उपार्जन किया जाना है, उसके गोदाम के संचालक, उपार्जन संस्था के प्रबंधक एवं राज्य उपार्जन एजेन्सी के जिला अधिकारी के मध्य त्रिपक्षीय अनुबंध किया जायेगा। मॉडल अनुबंध को आयुक्त सह पंजीयक सहकारी संस्थाएं एवं संचालक खाद्य के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किया जाएगा, जिसमें संस्थाओं के निम्न प्रमुख दायित्वों का उल्लेख भी होगा:-

i उपार्जन केन्द्र स्थल पर MD,MPSCSC द्वारा निर्धारित सूचनाओं के बैनर/पोस्टर आदि जिसमें महत्वपूर्ण सूचनाएं एवं टोल फ्री नंबर का उल्लेख हो, का प्रदर्शन करना;

ii कृषकों को अनावश्यक लंबी कतारों में प्रतीक्षा न करनी पड़े तथा आवेदन फार्म भरने, जानकारी उपलब्ध कराने तथा टोकन आदि जारी करने हेतु प्रत्येक केन्द्र पर एक facilitation counter स्थापित करना;

iii केन्द्र पर निर्धारित भौतिक संसाधन तथा प्रमाणीकृत उपकरण चालू अवस्था में हो उपलब्ध कराना;

iv केंद्र पर निर्धारित मानव संसाधन नियोजित/नामित करना तथा उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण दिलवाना जिससे वे अपना कार्य दक्षतापूर्ण कर सके;

v समस्त संव्यवहारों को कम्प्यूटरीकृत ऑनलाइन करना तथा इससे किसी प्रकार का deviation न करना;

vi बारदानों का बेहतर प्रबंधन करना जिसमें प्राप्तियां एवं उपयोग, बारदाने केंद्र से बाहर किसी अन्य व्यक्ति/संस्था आदि को न देना, निर्धारित स्याही रंग से सही प्रकार से स्टेन्सिल लगाना जिससे बोरे पर संस्था का नाम इत्यादि ठीक से दिखाई दे, डिमाण्ड 'e-Uprajan' से सूचित करना आदि सम्मिलित है;

vii निर्धारित स्टैण्डर्ड वजन के अनुसार बारदाने की भर्ती सुनिश्चित करना;

viii तौल एवं FAQ संतुष्टि के उपरांत कम्प्यूटराईज्ड प्रिंटेड रसीद, जिसमें देय राशि का उल्लेख आदि हो, हस्ताक्षर कर किसान को देना;

ix परिवहनकर्ता को उपज नजदीकी धर्मकांटे से तौलकर देना। संस्था द्वारा उपज पूर्णत: तौल कर दिया जाता है तो आने वाली मार्गस्थ कमी के लिए परिवहनकर्ता उत्तरदायी होगा, अगर बिना तौले उपज दी जाती है तो संग्रहण स्थल पर प्राप्त तौल को अंतिम मान्य किया जाएगा तथा आने वाली कमी के लिए संस्था उत्तरदायी रहेगी;

x किसानों को समयावधि में भुगतान हेतु ऑनलाईन बैंकिंग एवं 'Just in Time Payment' (JIT) का पालन करना;

xi प्रासंगिक व्यय, प्रशासनिक व्यय को MD,MPSCSC द्वारा गाइडलाइन के अनुरूप जारी करना; तथा

xii Non FAQ खरीदी के विवादों में अपग्रेडेशन, निस्तारण जिला उपार्जन समिति के निर्णय अनुसार करना।

4.15 संस्था का वित्तीय संव्यवहार ठीक से हो, इस हेतु लेखा व्यवहार, रिकॉर्ड एवं लेखांकन कम्प्यूटरीकृत कर MD,MPSCSC एवं आयुक्त पंजीयक एवं सहकारी संस्था द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जाएगा।

4.16 अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) द्वारा प्रत्येक केन्द्र पर पंजीयन केन्द्र प्रभारी, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर तथा कलेक्टर

द्वारा नामित कर्मचारी की उपस्थिति सुनिश्चित कराई जावेगी।

5. कृषकों के पंजीयन एवं सत्यापन की प्रक्रिया

5.1. 'विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना' (DCP) अंतर्गत रबी वर्ष 2019-20 में FAQ गुणवत्ता के गेहूं की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जानी हैं। उपार्जन कार्य मुख्यत: कृषक पंजीयन से प्रारंभ होगा जिसके महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नानुसार है:-

i विगत खरीफ उपार्जन की भांति, किसान पंजीयन भू-अभिलेख के डाटा बेस पर आधारित है;

ii दोहराव समाप्त करने के लिए राजस्व विभाग द्वारा गिरदावरी हेतु तैयार 'किसान ऐप' के साथ उपार्जन पंजीयन मॉड्यूल का 'e-Uprajan' के साथ integration किया गया है; तथा

iii वन पट्टाधारी एवं गैर डिजिटालाईज्ड अभिलेख हेतु "ई-उपार्जन" पर पृथक व्यवस्था बनाई गई है।

5.2. किसान पंजीयन www.mpeuparjan.nic.in पर उस ग्राम/पंचायत के लिये निर्धारित पंजीयन केन्द्र पर दिनांक 21 जनवरी से 23 फरवरी, 2019 तक किया जाएगा। पंजीयन 11am - 5pm के मध्य सभी कार्य दिवस में (रविवार एवं शासकीय अवकाश छोड़कर) किया जावेगा।

5.3. सभी कृषक जो समर्थन मूल्य योजना का लाभ लेना चाहते है, के द्वारा नवीन पंजीयन कराना आवश्यक है, इसमें वे किसान भी सम्मिलित है जिनके द्वारा पूर्व वर्षो में पंजीयन या विक्रय किया हो।

5.4. कृषक को पंजीयन हेतु निर्धारित आवेदन में निम्न जानकारी एवं दस्तावेज उपलब्ध करना होगें :-

i आधार नम्बर, समग्र परिवार आईडी तथा स्वयं का मोबाइल नम्बर;

ii Nationalized अथवा scheduled बैंक में स्वयं का एकल खाता नम्बर (संयुक्त खाता मान्य नहीं), बैंक-ब्रान्च का नाम, IFSC कोड तथा बैंक पास-बुक की छायाप्रति का विवरण;

iii भूमि खाते - खसरा, ऋण पुस्तिका, वनाधिकार पट्टे आदि के दस्तावेजी साक्ष्य की प्रति; तथा

iv भूमि स्वयं के नाम न होने पर भू-स्वामी के साथ निर्धारित प्रारूप में सिकमी/बटाई अनुबंध की प्रति।

स्पष्टीकरण: आधार नम्बर, बैंक खाता, मोबाइल नम्बर, समग्र आईडी- यूनिक है, अर्थात यह नम्बर पंजीयन होने के बाद किसी दूसरे कृषक के लिए दर्ज नहीं हो पायेगें।

5.5 एनआईसी द्वारा पंजीयन माड्यूल उपलब्ध करानें के पूर्व जिला स्तर पर निम्न पूर्तियां की जानी होगी :-

i जिला स्तरीय अधिकारियों का विवरण भरकर मोबाइल आधारित authentication करना,

ii ग्राम- पंचायतवार डायरेक्ट्री को approve करना,

iii पंजीयन एवं उपार्जन केन्द्र के स्थान को निर्धारित करना,

iv केन्द्र संचालन के लिए समिति को नियुक्त करना,

v केन्द्र संचालन करने वाली सस्था के प्रबंधक का नाम, मोबाइल नम्बर, समिति के बैंक खाता नम्बर को मोबाइल आधारित authentication कर, लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करना,

vi डाटा इन्ट्री आपरेटर का नाम, मोबाइल नम्बर, बैंक खाता नम्बर दर्ज कर Login ID एवं पासवर्ड देना।

5.6. रबी वर्ष 2019-20 में भूमि सत्यापन, आयुक्त भू-अभिलेख द्वारा उपलब्ध कराए गये राजस्व विभाग के गिरदावरी डाटाबेस से लिया जाना है, अत: भू-अभिलेख में प्रविष्ट की गई गिरदावरी जानकारी निम्नानुसार उपलब्ध रहें -

I राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित गिरदावरी प्रक्रिया अनुसार भू-अभिलेख का गिरदावरी रिकार्ड 20,जनवरी 2019 की पंजीयन का आधार होगी;

II वर्तमान में गिरदावरी कार्य चालू होने से यह संभव है, कई खसरों की गिरदावरी पूर्ण न हों, अत: कृषकों से फसल के संबंध में पंजीयन में ली गई जानकारी भी 'e-Uparajn' में इन्द्राज की जावेगी;

iii फसल की प्रविष्टियों की गिरदावरी डाटा में आपत्ति होने पर कृषकों को समझाईश दी जाये कि वे सुधार करने के लिए तहसीलदार को आवेदन कर सकेंगे जिससे तहसीलदार भू-अभिलेखों में दावे-आपत्ति का निपटारा कर भू-अभिलेख (ऑनलाइन) अंतिम प्रविष्टि कर देवें;

iv 'e-Uparjan' द्वारा व्यवस्था बनाई जावेगी कि वे 'गिरदावरी' से real time sharing व्यवस्था बनावें जिससे राजस्व विभाग को जानकारी में विसंगति होने से स्वमेंव परिक्षण एवं सत्यापन करने में सुविधा हो;

v जिन कृषकों का डाटा dump में नहीं प्रदर्शित हो रहा है, उनके सत्यापन के लिए आयुक्त भू-अभिलेख एवं संचालक, खाद्य द्वारा संयुक्त निर्देश जारी किए जावेंगे;

vi यदि तहसीलदार उपयुक्त समझते हैं तो वे गिरदावरी जानकारी को दावें आपत्ती के लिए केन्द्र पर भी प्रदर्शित कर सकते हैं; तथा

vii गिरदावरी एप में राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित तिथि तक अंतिम किए गए आकड़े सत्यापन का आधार होगें, कृषक का उपार्जन डाटा अंतिम एवं सूचित करने हेतु data reconciliation आयुक्त, भू-अभिलेख एवं संचालक, खाद्य द्वारा आपसी विमर्श कर अंतिम किया जाएगा; तथा निर्धारित तिथि को ई-गिरदावरी की प्रविष्टियां अंतिम सूचि मानी जावेगी, एवं यहीं जानकारी e-Uprajan के लिए भी मान्य होगी।

5.7. राज्य स्तर पर 25,फरवरी 2019 को 'ई-उपार्जन' से पंजीयत कृषक/खसरों की जानकारी का मिलान भू-अभिलेख डाटा से किया जावेगा। मिलान के अनुसार वह जानकारी अंतिम की जावेगी, जिसमें बोई फसल का रकबा अधिकतम गिरदावरी साफ्टवेयर के अनुसार तक हो सकेगा।

5.8. पंजीयन समाप्त होने के उपरांत SMS के माध्यम से कृषक को उनके पंजीयन, उपार्जन केन्द्र एवं विक्रय तिथि बाबत सूचित किया जावेगा जिसकी पावती भी दिनांक 28 फरवरी,2019 तक पंजीयन केन्द्र से प्राप्त की जा सकेगी।

5.9. वन पट्टाधारियों को पृथक श्रेणी के रूप में पंजीयन किया जाएगा। उनके फसल एवं रकबे के सत्यापन की प्रक्रिया विगत खरीफ 2018-19 के अनुसार ही होगी, जिसे संचालक, खाद्य द्वारा नवीन तिथियों का उल्लखे करते हुए पुन: उद्धृत किया जाएगा।

5.10. वन विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 25-63/2000/10-3 दिनांक 04.10.2016 में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत दिये गये व्यक्तिगत वनाधिकारों के नामान्तरण प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। वनाधिकार पट्टेधारी की मृत्यु आदि कारणों से मूल पट्टाधारी के न होने पर वन विभाग द्वारा निर्धारित नामान्तरण प्रक्रिया का पालन करते हुए उत्तराधिकारी के नाम पर पट्टा स्थानातंरित होने के उपरांत वनाधिकार पट्टेधारक के नाम से ही पंजीयन किया जाएगा।

6. उपार्जित गेहूं की गुणवत्ता एवं नियंत्रण-

FAQ मापदण्ड

6.1. समर्थन मूल्य पर गेहूं की एक समान विनिर्दिष्टिया FAQ भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के द्वारा निर्धारित की जाती है, जिसके अनुसार केवल इन्हीं FAQ नार्म्स के स्कंध का ही उपार्जन किया जाएगा।

जिला स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण

6.2. FAQ के अनुरूप उपार्जन करने का दायित्व संबंधित उपार्जन केन्द्र चलाने वाली संस्था का है, इस हेतु उनके द्वारा निम्न कार्यवाही अपेक्षित है :-

i किसानों के हित में समर्थन मूल्य एवं FAQ का व्यापक प्रचार-प्रसार करना;

ii किसानों को उपज सूखी, साफ एवं छन्ना लगी हुई लाने हेतु प्रेरित करना;

iii उपार्जन केन्द्र पर FAQ अनुसार नमूने प्रदर्शित करना;

iv सामान्य जानकारी हेतु उपार्जन केन्द्र पर FAQ गुणवत्ता संबंधी बैनर का प्रदर्शन;

v केन्द्र पर मेकेनिकल ग्रेडिंग, बड़े छन्ने, पंखे जैसे सफाई एवं FAQ जांच के उपकरण रखना;

vi प्रत्येक केन्द्र हेतु प्रशिक्षित गुणवत्ता सर्वेयर नियोजित/नामित एवं उपस्थित रखना; तथा

vii असामनक उपज प्राप्त न करना एवं कृषक को उसे सुधार कर लाने हेतु समझाइश देना।

6.3. Non FAQ उपार्जन करने की दशा में प्राथमिक दायित्व संस्था प्रबंधक तथा उपार्जन केन्द्र प्रभारी का होगा, जिसकी रिकवरी उनसे की जावेगी, जिससे कृषकों के व्यय की प्रतिपूर्ति की जा सके। संस्था से प्राप्त Non FAQ स्कंध का पृथक से भण्डारण कराया जाएगा, जिसे प्रति शनिवार संस्था को अपग्रेड करने हेतु हैण्डओवर किया जाएगा, जिसके संग्रहण, घटती, अपग्रेडशन तथा परिवहन व्यय उपार्जन संस्था द्वारा देय होगा। इस प्रक्रिया के विस्तृत निर्देश संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण द्वारा जारी किए जाएंगे।

6.4. कलेक्टर द्वारा संबंधित विभागों/संस्थाओं के मैदानी अमले के माध्यम से किसानों के हित में निम्न व्यवस्थाऐं सुनिश्चित की जाएंगी:-

i FAQ मानक की उपज समर्थन मूल्य से कम पर मंडी में किसी भी स्थिति में विक्रय न हो;

ii मंडी में समर्थन मूल्य से कम पर विक्रय होने वाली Non FAQ उपज का सेम्पल (कृषक नाम सहित) सचिव, कृषि उपज मंडी द्वारा रखकर जिला उपार्जन समिति को सूचित किया जाये;

iii उपार्जन केन्द्रों पर Non FAQ उपज के सेम्पल कृषक नाम सहित, संधारित करते हुए संस्था प्रभारी द्वारा केन्द्र के नोडल अधिकारी के माध्यम जिला उपार्जन समिति को सूचित किया जाये तथा इसकी जानकारी को 'Day Closure Protocol' में अनिवार्यतः इन्द्राज किया जाए; तथा

iv उपार्जन केन्द्र स्तरीय नोडल अधिकारी, खाद्य, सहकारिता, कृषि एवं राजस्व विभाग के अनुविभाग/तहसील स्तरीय मैदानी अमले द्वारा गुणवत्ता का सतत् पर्यवेक्षण किया जाये।

गुणवत्ता प्रभारियों का नियोजन एवं पर्यवेक्षण

6.5. गुणवत्ता को जांचने हेतु हर स्तर पर प्रशिक्षित सर्वेयर अथवा प्रभारी को नामित/नियोजित करने की की कार्यवाही निम्नानुसार की जाये:-

i उपार्जन संस्था द्वारा - उपार्जन केन्द्र गोदाम परिसर पर न होने पर संस्था द्वार नियोजन/नामांकन किया जाएगा, जिसकी प्रतिपूर्ति संस्था को प्राप्त कमीशन से की जा सकेगी;

ii उपार्जन एजेंसी द्वारा- गोदाम परिसर केंद्र स्तर पर तथा मैदानी जांच हेतु पर्याप्त संख्या में जिला स्तर पर नियोजन करना जिससे उपार्जित स्कन्ध के भंडारण करने के पूर्व गुणवत्ता परीक्षण किया जा सके, इस पर होने वाले व्यय की पूर्ति एजेंसी के प्रशासकीय व्यय से की जा सकेगी;

iii भण्डारण एजेंसी द्वारा- WHR पर FAQ/Grade के मापदण्ड उल्लेखित करने हेतु, इस पर होने वाले व्यय की पूर्ति भण्डारण एजेंसी को प्राप्त भण्डारण शुल्क से की जा सकेगी; तथा

iv संचालक, खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण द्वारा - मुख्यालय से चेक करने हेतु राज्य स्तरीय संयुक्त टीम जिसमें यथासंभव FCI के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे, गठित की जाएंगी जो समय-समय पर तैयारी से संग्रहण तक के उपार्जन कार्य का निरीक्षण करेंगी तथा प्रतिवेदन संचालक, खाद्य के माध्यम से शासन को प्रतिवेदन प्रेषित करेंगे। इसका व्यय उपार्जन एजेंसी के प्रशासनिक मद पर भारित होगा।

6.6. उपार्जन एजेंसियां गुणवत्ता नियंत्रण, पर्यवेक्षण एवं FAQ खरीदी हेतु सभी स्तरों पर निम्नानुसार व्यवस्था करेंगी:-

i Non FAQ गेहूं को रिजेक्ट कर कृषक को पंखा/छन्ना के माध्यम से अपग्रेड करने हेतु समझाईश देना तथा अमान्य उत्पाद का सेम्पल रखना;

ii जिला स्तर पर खाद्य, सहकारिता, एवं उपार्जन एजेंसी द्वारा सप्ताहिक रेण्डम चेकिंग करना;

iii संभाग के जिलों में नियमित भ्रमण तथा गुणवत्ता परीक्षण को प्रस्तुत करना; तथा

iv मुख्यालय स्तर से नियमित टीम के माध्यम से सतत् पर्यवेक्षण करना।

7. उपार्जन केन्द्र स्तर पर उपार्जन व्यवस्था एवं प्रक्रिया

6.1. कलेक्टर से अनुमोदन प्राप्त कर DSO लॉगिन से विगत तीन वर्षों के भू-अभिलेख फसल कटाई/आंकड़ों के आधार पर तहसीलवार उत्पादकता की प्रविष्टि की जाएगी। किसानों द्वारा बोए गये सत्यापित रकबे एवं तहसील की उत्पादकता (फसल कटाई द्वारा निर्धारित) के अनुसार विक्रय योग्य अधिकतम मात्रा की जानकारी 'e-Uparjan' में कृषकवार प्रदर्शित रहेगी। इससे अधिक उपज का उपार्जन कृषकों से नहीं किया जा सकेगा।

किसानों को SMS की व्यवस्था

6.2. इस वर्ष बिना SMS तिथि के आने पर तौल पत्रक जारी नहीं किया जा सकेगा। अतः कृषकों को अपनी मांगी गई तिथियों का चयन भलि भांति करने हेतु समझाईश दी जावे।

6.3. कृषकों से आवेदन लेते समय ही उनसे दो तिथियां ली जाएगी। कृषकों को 'e-Uparjan' के माध्यम से विक्रय तिथि एवं SMS सूचना के प्रावधान किए जाएगें जिसमें निम्न बिन्दुओं का भी ध्यान रखा जाएगा:-

i कृषकों द्वारा दी गई उपार्जन तिथि के 10 दिवस पूर्व सूचित करना, जिससे वे कटाई आदि की व्यवस्था सुविधापूर्वक कर सके;

ii उपार्जन केन्द्र पर एक दिवस में औसतन 100 मे.टन मात्रा तक के उपार्जन हेतु SMS भेजना;

iii केन्द्र पंजीयन के दौरान ही कृषक को अवगत कराना कि उसकी मांगी गई तिथि को तौल संभव हैं, अथवा नहीं, जिससे वह उसी दिन तिथि मे संशोधन कर सकें;

iv उपार्जन तिथियां 'e-Uparjan' पर केन्द्र के लॉगिन में प्रदर्शित होंगी, जिसे वे कृषक अनुरोध पर परिवर्तित कर सकेंगे; तथा

v आवश्यकतानुसार एवं Exit Protocol के अनुरूप केन्द्र स्तर पर SMS भेजने की सुविधा उपलब्ध कराना।

कृषक तौल

6.4. कृषकों को नियत तिथि मे आने के लिये ही प्रेरित करें, व्यापक प्रचार-प्रसार भी करें जिससे तिथि से तौल हेतु अनावश्यक प्रतीक्षा की अप्रिय स्थिति निर्मित न हो।

6.5. कृषकों को अनावश्यक प्रतीक्षा न करनी पड़े, इस हेतु प्रत्येक केन्द्र पर facilitation counter स्थापित किया जाये, जो ऑनलाईन टोकन एवं तौल का संभावित समय जारी करे तथा टोकन के क्रम में FAQ उपज होने पर तौल करें।

6.6. प्रतिदिन उपार्जन प्रारंभ करने के पूर्व प्रथम कृषक के समक्ष तौल-कांटे के सही होने की पुष्टि स्वरूप 100 ग्राम एवं 50 किलोग्राम के बांट से सत्यापन कर प्रथम कृषक एवं अन्य दो कृषकों के हस्ताक्षर एक रजिस्टर में उपार्जन संस्था द्वारा प्रतिदिन कराया जाएगा।

6.7. तौल की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी:-

i भरती 580 ग्राम स्टेण्डर्ड वजन के नये जूट के बोरे में 50 किलो प्रति बोरे के मान से की जावेगी;

ii केन्द्र द्वारा प्रत्येक बोरे पर नीले रंग की स्क्रीन से MD,MPSCSC द्वारा निर्धारित प्रारूप में 18x18 इंच की स्टैंसिल (छापा) लगाई जाएगी;

iii प्रत्येक बोरे पर केन्द्र के नाम की प्लास्टिक स्लिप (केन्द्र के कोड एवं वर्ष सहित) 3x4 इंच की धागे से आधी अन्दर व आधी बाहर सिलाई की जाएगी;

iv केन्द्र पर बोरों में केन्द्र स्लिप के साथ ही कृषक क्रमांक की स्लिप भी कोड अंकित किया जावे, जिससे पहचान हो सके कि कौन सा उत्पाद किस कृषक का है;

v तौल एवं सिलाई के उपरांत भरे बोरो की कृषकवार थपकी लगाई जावेगी, जिससे परिवहन करते समय यथा संभव एक ट्रक/ स्टेक में कृषक का पूरा माल आ सकें; तथा

vi बारदानों की विद्युत चालित मशीन से लाल रंग के धागे से डबल सिलाई की जाए।

6.8. किसानों द्वारा विक्रय की गई उपज की कम्प्यूटराईज्ड प्रिन्टेड रसीद (डबल कापी) केन्द्र प्रभारी द्वारा आनलाईन जारी कर अपने हस्ताक्षर किय जायेगे, जिसकी एक प्रति संस्था द्वारा रखी जाएगी तथा दूसरी कृषक को दी जाएगी। किसान को उसके पंजीकृत मोबाइल पर SMS के माध्यम से भी इसकी सूचना दी जा जाएगी।

6.9. प्रतिदिन उपार्जन समाप्त होने पर केन्द्र प्रबंधक द्वारा निर्धारित 'Day Closure Protocol' अनुसार Ready to Transport (R2T) तथा बारदाना संबधी आवश्यक सूचनाए अनिवार्यतः इन्द्राज की जावेगी।

6.10. उपार्जन प्रक्रिया में सभी प्रविष्टियां कम्प्यूटरीकृत प्रणाली से ऑनलाइन ही जारी की जाएंगी केन्द्र स्तर पर डाटा-एन्ट्री हेतु निम्न व्यवस्थाएं रहेंगी:-

i कृषकों को टोकन देना;

ii कृषकों की तौल पत्रक एवं पावती जारी करना;

iii R2T एवं Day Closure Protocol में इंद्राजी करना,

iv परिवहन चालान (TC) जारी करना;

v बारदाना का लेखा-जोखा रखना; तथा

vi केन्द्र स्तर के समस्त व्यय यथा- कृषक भुगतान, प्रासंगिक व्यय, कमीशन से किये गये प्रशासनिक व्यय तथा डाटा-एन्ट्री ऑपरेटर्स का वेतन का भुगतान 'JIT' से करना।

7. बारदाना उपलब्धता एवं उपयोग

7.1. बारदाना की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु नोडल एजेन्सी MPSCSC होगी, जो कि भारत शासन द्वारा निर्धारित जूट मापदण्डों एवं राज्य के भण्डार क्रय नियमों का पालन करते हुए मानक गुणवता का बारदाना उपलब्ध कराएगी। बारदाने की मात्रा का निर्धारण अनुमानित उपार्जन मात्रा सहित 15% अतिरिक्त मात्रा के लिए रहेगा।

7.2. नोडल एजेन्सी MPSCSC द्वारा बारदाना वितरण एवं उपयोग की संपूर्ण व्यवस्था हेतु 'Gunny bag Protocol' जारी किया जाएगा।

7.3. MPSCSC द्वारा मासिक उपार्जन अनुमान के अनुरूप प्रत्येक जिले में एक माह पूर्व भण्डारण कर संबंधित DM/DMO को सौंपा जाएगा, इसके भंडारण एवं विनियमन का दायित्व संबंधित जिले की उपार्जन एजेंसी का होगा।

7.4. प्रत्येक केन्द्र पर उपार्जन आरंभ होने के दो दिवस पूर्व तक 10 दिन की अनुमानित उपार्जन मात्रा के अनुरूप बारदानें अग्रिम रूप से केन्द्र को उपलब्ध कराए जायेंगे। इसमें केन्द्र द्वारा सूचित पूर्व से उपलब्ध बारदानों की संख्या सम्मिलित रहेंगी। इसके उपरांत प्रत्येक शनिवार को सभी केन्द्रो पर आगामी 07 दिवस की अनुमानित खरीदी के आधार पर बारदाने उपलब्ध कराये जाएंगे।

7.5. बारदानों की संख्याओं का निर्धारण, भण्डारण, उपयोग एवं पावती के साथ निर्धारित मात्रा से कम वजन, कटे-फटे या खराब बारदाने प्राप्त होने तथा release दर्ज करने की व्यवस्था 'Gunny Bag Protocol' में बनाई जावेगी, जिसके निर्देश MD,MPSCSC द्वारा पृथक से जारी किए जाएंगे।

7.6. उपार्जन केन्द्र से बाहर कोई भी बारदानें संस्था द्वारा दिये जाने पर उनके विरूद्ध वसूली एवं आर्थिक दण्ड के साथ-साथ दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

7.7. यदि बगैर स्टैंसिल/टैग लगे बोरे गोदाम पर लाए जाएं तो वे उपार्जन/भण्डरण एजेंसी द्वारा अग्राह्य किए जाएंगे तथा इसकी पेनल्टी परिवहनकर्ता के उपर लागू की जावेगी।

8. पूंजी व्यवस्था, व्यय एवं भुगतान

वित्तीय संव्यवहार

8.1. विकेन्द्रीकृत उपार्जन व्यवस्था अंतर्गत भारत शासन के लिए उपार्जन का कार्य राज्य की उपार्जन एजेंसियों द्वारा किया जाता है। भारत शासन द्वारा जारी costing guideline पत्र क्रं 192(29)/2007-FC.A/cs dt. 19.08.2015 एवं शासन के साथ किए गए MOU दिनांक 23 अगस्त, 2016 के अनुरूप उपार्जन एजेंसी को व्ययों की प्रतिपूर्ति की जाती है। अत: उपार्जन एजेंसियों का प्राथमिक दायित्व है कि वे भारत शासन द्वारा जारी प्रावधानिक लागत पत्रक कि यथासंभव वित्तीय सीमाओं मे ही उपार्जन की व्यवस्था करें।

8.2. प्रावधानिक लागत पत्रक भारत शासन से प्राप्त होने के उपरांत राज्य शासन द्वारा पृथक से भी प्रावधानिक दरें वित्त विभाग के परामर्श से जारी की जा सकेगी, जिसमें विभिन्न stakeholder यथा संस्था, मार्कफेड, MPSCSC एवं MPWLC को भुगतान की जाने वाली दरों का ब्यौरा उपलब्ध होगा।

8.3. समस्त स्तर पर निम्न वित्तीय प्रावधानों के तथा costing guideline के अनुरूप विस्तृत दिशा-निर्देश MD,MPSCSC द्वारा जारी किए जाएंगे, जिसमें निम्न का ध्यान रखा जाएगा:-

i राज्य उपार्जन समिति द्वारा उपार्जन एंजेसी के प्रशासनिक मद, केन्द्र हेतु निर्धारित कमीशन मद एवं प्रासंगिक मद से पंजीयन हेतु तय किये गए वित्तीय नार्मस एवं प्रक्रिया;

ii केन्द्र पर प्रासंगिक, कमीशन मद, 15 दिवस से अनधिक के भण्डारण एवं ब्याज गणना एवं पूर्ति व्यवस्था की जावेगी, जिसका भुगतान JIT के माध्यम से किया जाएगा;

iii केन्द्र द्वारा अंतरिम एवं अंकेक्षण के दावे 'e-Uparjan'/CSMS में आनलाईन करने की व्यवस्था;

iv उन्मुखीकरण/प्रशिक्षण हेतु मापदण्ड, दर एवं व्यय संबंधित उपार्जन एजेंसी के प्रशासनिक मद पर भारित करना;

v अन्य फसलों के पंजीयन/उपार्जन हेतु केन्द्रों एवं अन्य व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन से समानुपात में साझा करने की व्यवस्था; तथा

vi मद क्रं.6627- खाद्यान्न उपार्जन कम्प्यूटराइजेशन परियोजनांतर्गत हेतु हार्डवेयर नीति पत्र क्रमांक F3-18(5-2)/2018/29-2 दि 24.12.2018 के अनुसार हार्डवेयर प्रतिपूर्ति करना।

8.4. वित्तीय अनुशासन बनाये रखने के लिए निम्न व्यवस्थाएं निर्धारित समय-सीमा में की जावेगी :-

i MD,MPSCSC द्वारा भारत शासन द्वारा तय costing guidelines के अनुरूप संस्था स्तर पर व्यय लेखा संधारण के स्थायी निर्देश जारी किये जावेगें;

ii आयुक्त एवं पंजीयक, सहकारी संस्था द्वारा उपार्जन संस्थाओं के आडिट एवं एकाउन्टिंग गाइड लाईन्स पृथक से जारी किये जावेगें;

iii महाप्रबंधक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक (DCCB) संस्था प्रबंधकों को लेखा संधारण एवं अकाउटिंग गाइड लाईन्स का प्रशिक्षण देगें;

iv उपार्जन एजेंसियां राज्य शासन से रबी उपार्जन के efficiency parameter का MOU करेगी, जिसके आधार पर ही राज्य शासन द्वारा अपूरित व्ययों की पूर्ति तय की जावेगी;

vii उपार्जन एजेंसियों के आपसी व्यवहार में लेनदेन भली-भांति सुलझाए जा सके, इसके स्थायी निर्देश भी जारी किए जावेंगे; तथा

viii वित्तीय व्यय हेतु मध्यप्रदेश भंडार क्रय नियमों का पालन करना।

कृषक भुगतान

8.5. कृषकों के भुगतान के लिए जिला स्तर पर निम्नानुसार कार्यवाही एवं समन्वय किया जाएगा:-

i केन्द्र द्वारा कृषकों को भुगतान निर्धारित समर्थन मूल्य पर किया जाएगा, अतः कम्प्यूटर में सही उपार्जित मात्रा की इंद्राजी, गुणवत्ता आदि पर नियंत्रण एवं क्रियान्वयन कलेक्टर के मार्गदर्शन में GM-CCB एवं DRCS द्वारा किया जाएगा;

ii कृषकों का भुगतान JIT से किया जायेगा; तथा

iii बैंक शाखाओं में पर्याप्त कैश क्रेडिट लिमिट के साथ-साथ नगदी की उपलब्धता बनाई रखने हेतु कलेक्टर द्वारा समय पर समीक्षा करने के अतिरिक्त उपार्जन प्रारंभ होने के पूर्व DLCC की बैठक ली जावेगी।

सहकारी संस्थाओं को पूंजी, लेखा संधारण एवं ऑडिट व्यवस्था

8.6. सहकारी संस्थाओं को पूंजी, लेखा संधारण एवं ऑडिट की व्यवस्था निम्नानुसार होगी -

i केन्द्र को प्रारंभिक प्रशासनिक व्यवस्था बनाने एवं प्रासंगिक व्यय करने हेतु संस्था को पर्याप्त साख-सीमा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक प्रदान करेगी, जिसकी समीक्षा जिला उपार्जन समिति द्वारा की जाएगी;

ii मण्डी बोर्ड द्वारा उपार्जन केन्द्र पर व्यवस्था हेतु हम्माली, तुलाई-भराई, स्टेंसिल की छपाई/सिलाई सहित अन्य दरें (भारत शासन की Costing guidelines के मद) अधिसूचित करने की व्यवस्था बनाई जावेगी, जिन्हें GM-CCB द्वारा 'Accounts Protocol' में दर्ज किया जायेगा;

iii 'Accounts Protocol' में निर्धारित मानकों के अधीन केन्द्र स्तरीय सभी व्यय की गणना स्वमेंव हो जावेगी, तथा संबंधित vendors के भुगतान केन्द्र/संस्था प्रभारी के digital authentication उपरांत JIT से किए जा सकेगें;

iv उपार्जन एजेंसी द्वारा स्वीकृति पत्रक जारी होते ही केन्द्र स्तर के लिए कृषकों को समर्थन मूल्य, प्रासंगिक व्यय एवं कमीशन मद (निर्धारित अंश) में JIT से भुगतान की जाएगी। अंकेक्षित मदों के लेखा प्रस्तुत करने के उपरांत शेष राशि निर्धारित समयावधि में भुगतान किया जाएगा; तथा

v प्रत्येक स्तर पर लेखा संधारण एवं ऑडिट के लिए पृथक से निर्देश आयुक्त, सहकारिता द्वारा MD,MPSCSC से परामर्श उपरांत जारी किए जाएंगे।

राज्य उपार्जन एजेन्सियों को पूंजी एवं भुगतान व्यवस्था

8.7. राज्य उपार्जन एजेन्सियों को पूंजी एवं भुगतान व्यवस्था निम्नानुसार होगी:-

i उपार्जन एजेंसियों को बैंको से ऋण लेने हेतु सांख सीमाएं राज्य शासन द्वारा वित्त विभाग से परामर्श उपरांत जारी की जाएगी, जिससे संबंधित उपार्जन एजेंसी राशि की कमी होने के स्थिति में पूंजी की व्यवस्था, बैंकों से उपलब्ध कम ब्याज की शार्ट टर्म लोन प्राप्त कर सकेंगी। राज्य उपार्जन एजेंसियां बैंको से न्यूनतम दरों पर लोन प्राप्त करने हेतु आवश्यकतानुसार negotiate करेगी;

ii आवश्यकता होने पर राज्य शासन द्वारा RBI की Food Credit Limit प्रारंभ कराई जाएगी जिसे उपार्जन एजेंसियों को परिस्थिति अनुसार ऋण की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जा सकेगी। Food Credit Limit को initiate करने का

उत्तरदायित्व MD,MPSCSC का होगा, जिसे राज्य शासन के द्वारा दोनों संस्थाओं के मध्य आवश्यकतानुसार बंटन किया जा सकेगा;

iii राज्य उपार्जन एजेंसियां JIT हेतु नोडल खाता संचालित करेगी तथा उसमें साख सीमा का प्रबंधन इस प्रकार करेगी, जिससे ब्याज भार न्यूनतम हो सके;

iv भारत शासन एवं FCI को विकेन्द्रीकृत प्रणाली के फाइनेंशिएल क्लेम प्रस्तुत करने एवं उनसे भुगतान प्राप्त हेतु नोडल एंजेसी MPSCSC होगी;

v भारत सरकार द्वारा व्यय राशि की तुलना में प्रतिपूर्ति कम किए जाने अथवा विशेष/अप्रत्याशित परिस्थितियों में गेहूं उपार्जन/भंडारण में भंडारण अथवा उपार्जन एजेंसियों को राशि अपूरित/हानि होने पर राज्य शासन द्वारा गुण-दोष के आधार उसकी प्रतिपूर्ति की जा सकेगी; तथा

vi MPSCSC द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रतिमाह की 5 तारीख तक समस्त stakeholders को वित्तीय प्राप्ति की रिपोर्ट उपलब्ध कराई जावेगी तथा राज्य शासन द्वारा पृथक से निर्धारित मापदण्ड एवं दर अनुसार भुगतान प्रबंधन JIT से किया जाएगा।

8.8. MPSCSC वितरण एवं परिदान प्रबंधन इस प्रकार से करेगी कि भारत शासन को आर्थिक लागत का अंतिमीकरण हेतु लेखा उपार्जन समाप्ति के 30 माह में जमा हो सकें।

8.9. भारत शासन से अंतिमीकरण उपरांत राज्य शासन के समक्ष अपूरित राशियों का लेखा 2 माह में उपार्जन एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, जिसका गुण-दोष एवं नीति के आधार पर राज्य शासन निराकरण करेगा।

वित्तीय संव्यवहार हेतु JIT/साफ्टेवयर प्रोटोकाल

8.10. सरल वित्तीय प्रवाह तथा costing guideline के अनुरूप व्यय एवं भुगतान व्यवस्था हेतु MD,MPSCSC द्वारा संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, पंजीयक सहकारिता विभाग तथा MPWLC एवं MARKFED से परामर्श उपरांत जारी किए जाएंगे, जिसमें निम्न प्रावधान होंगे:-

i केन्द्र प्रभारी के digital authentication उपरांत किसानों के बैंक खाते में राशि हस्तांतरण तथा जिसकी सूचना उन्हें SMS से प्राप्त करना, डिमाण्ड ड्राफ्ट/चेक आदि जैसे ऑफ लाईन पेमेंट बैंकों के साथ संव्यहार मान्य नहीं करना;

ii संस्थाओं को प्रासंगिक व्यय एवं उससे संबंधित सेवा-प्रदाताओं (वेण्डर) को भुगतान करने की व्यवस्था;

iii संस्थाओं द्वारा अंकक्षेण दावे एवं बिल की प्रस्तुति;

iv जिला स्तर पर उपार्जन एजेंसी द्वारा परिवहन, प्रशासनिक व्यय एवं भण्डारण शुल्क की भुगतान व्यवस्था;

v जिला स्तर पर उपार्जन एजेंसी एवं भण्डारण एजेंसी की बिलिंग एवं भुगतान व्यवस्था; तथा

vi राज्य स्तर पर उपार्जन एजेसियो तथा भण्डारण एजेंसियों के मध्य वित्तीय संव्यवहार लिंक हो सकेगा।

9. परिवहन व्यवस्था

परिवहन निविदाएं

9.1. उपार्जन केन्द्र प्राथमिकता से गोदाम परिसर में ही स्थापित किये जाये जिससे कृषकों का भुगतान त्वरित हो सकेगा। गोदाम परिसरों की उपार्जन आवश्यकता वाले क्षेत्रों में अनुपलब्धता होने की दशा में ही केन्द्र को गोदाम परिसर से इतर स्थापित किया जायेगा।

9.2. परिवहन का उत्तरदायित्व संबंधित जिले की उपार्जन एजेंसी का होगा जो कि निविदा उपरांत परिवहनकर्ताओं से परिवहन एवं हैण्डिलिंग के साथ-साथ गोदाम परिसरों में हैण्डलिंग एवं मूवमेंट के लिये अनुबंध करेगी।

9.3. परिवहन कार्य योजना हेतु निम्न बिन्दुओं का भी ध्यान रखा जावेगा:-

i जिला उपार्जन एजेंसी द्वारा परिवहन मैपिंग प्रोटोकाल के अनुरूप जारी की जाएगी; उपार्जित स्कंध को निर्धारित परिवहन मैपिंग के साथ परिवहन कर भण्डारण कराया जाना सुनिश्चित कराया जाए तथा परिवहन मैपिंग में सक्षम अधिकारी के बिना परिवर्तन न किया जाए;

ii परिवहनकर्ताओं की नियुक्ति एवं अनुबंध की कार्यवाही उपार्जन एजेंसी द्वारा दिनांक 28 फरवरी,2019 तक पूर्ण कर ली जाए;

iii परिवहन मैपिंग में यह प्रयास किया जाए कि उपार्जन के दौरान ही अधिक से अधिक गेहूं का परिदान FCI को उनके गोदाम एवं रैक पांईट पर कर दिया जाए। FCI को सीमावर्ती राज्य के जिलों के लिए सड़क परिवहन की

भी अधिकतम मात्रा खरीदी केन्द्र से सीधे प्रेषण के लिए निर्धारित किए जाकर परिदान की जाए; तथा

iv उपार्जन केन्द्र से जिले के भण्डारण केन्द्र एवं अन्य जिलों के भण्डारण केन्द्रों को (गेहूं की कमी वाले जिलों के लिए) परिवहन हेतु MPSCSC द्वारा ऑनलाइन परिवहन कार्यक्रम साफ्टवेयर तैयार किया जाएं, जिसके निर्देश पृथक से दिए जाएंगे। यह ऑनलाइन कार्यक्रम MPSCSC एवं MPWLC दोनों एजेंसियों के लिए मान्य होगा।

9.4. परिवहन सेक्टरों एवं निविदाओं में उपार्जन एजेंसियां निम्न का ध्यान रखेगी:-

i सामान्यतः सभी जिंसो की पंजीयन मात्रा सेक्टर में 40,000 मे.टन से अधिक न हों;

ii यथासंभव पूर्ण विकासखण्ड को सेक्टर के लिए पूर्ण इकाई रखा जाए;

iii गोदाम परिसर के केन्द्रों में हैण्डलिंग एवं मूवमेंट दरों का स्पेसिफिक प्रावधान किया जाए;

iv गोदाम परिसर से इतर केन्द्रो हेतु भी पर्याप्त दूरियों की दरें विकेन्द्रीकृत संग्रहण अनुसार अनुबंधित हों;

v गोदाम परिसर के केन्द्रों में गोदाम स्वामी एवं उपार्जन संस्था मे भी दरें प्राप्त की जा सकेगी; तथा

vi धर्म-कांटे (वे-ब्रीज) से तौल संबंधित उचित प्रावधान किए जाएंगे।

9.5. अनुबंध में संस्थाओं द्वारा निम्न का प्रावधान भी सुनिश्चित किया जावे:-

i परिवहनकर्ता के समयबद्ध परिवहन करने में विफलता पर जिला उपार्जन समिति द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकेगी, जिसकी आवश्यक कटौत्री, दण्ड एवं ब्लेकलिस्ट करने का विफल परिवहनकर्ता पर प्रावधान;

ii केन्द्रों द्वारा परिवहनकर्ता को उपज को शत-प्रतिशत अथवा अधिकृत मैप्ड धर्मकांटे से देना;

iii यदि केन्द्र द्वारा उपज वे-ब्रीज से तौल कर दिया जाता है तो आने वाली मार्गस्थ कमी के लिए परिवहनकर्ता उत्तरदायी होगा, किन्तु बिना तौले उपज सौंपने पर संग्रहण स्थल पर प्राप्त तौल (वे-ब्रीज अथवा अन्य) को अंतिम मान्य किया जाएगा तथा किसी भी कमी के लिए केन्द्र की जबावदारी होगी; तथा

iv 'e-Uprajan' आधारित परिवहन एवं स्वीकृति पत्रक ही भुगतान का आधार होंगे, इसके लिए हस्तलिखित या मौखिक आदेश मान्य नहीं होगे।

परिवहन की प्रक्रिया

9.6. परिवहन प्रकिया, निविदा के आदेश, चालान एवं भुगतान को पूर्णतः ऑनलाईन करने के उद्देश्य से MD,MPSCSC द्वारा विस्तृत 'Transportation Protocol' को MPWLC एवं MARKFED के परामर्श उपरांत जारी किया जाएगा, जिससे समस्त प्रणाली में साम्यता रहे।

9.7. गोदाम परिसर के केन्द्रों में हैण्डलिंग एवं मूवमेंट कार्य अनुबंधित परिवहनकर्ता अथवा गोदाम स्वामी अथवा संस्था के द्वारा किया जा सकेगा, जिसके लिए वे डेडिकैटेड मूवमेंट वाहन एव हैंडलिंग टीम की उपलब्धता कराएंगे।

9.8. गोदाम परिसर से इतर एवं गोदाम परिसरों के भरने की दशा में भण्डारण हेतु गोदामों को न्यूनतम व्यय एवं संग्रहण प्राथमिकता के आधार पर मैप किया जाएगा। अपरिहार्य स्थिति में संबंधित प्रबंध संचालक उपार्जन एजेसी के अनुमोदन उपरांत मुख्यालय से ही साफ्टवेयर मैपिंग में परिवर्तन किया जा सकेगा। जिन जिलों में भण्डारण क्षमता की कमी है वहां मैपिंग राज्य स्तर से MPWLC द्वारा एजेंसी के प्रबंध संचालक की सहमति से की जावेगी।

10. उपार्जित गेहूं की भंडारण व्यवस्था

10.1. उपार्जित गेहूं के भंडारण हेतु म.प्र. वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन (MPWLC) नोडल राज्य भण्डारण एजेंसी होगी:-

i उपार्जन तथा भण्डारण एजेंसियां आपसी MOU करेगी जिसमें दायित्वों तथा देयताओं एवं भुगतान व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख होगा;

ii भंडारित उपज की सुरक्षा की पूरी व्यवस्था का उत्तरदायित्व भंडारण एजेंसी का होगा;

iii भण्डारण के दौरान एवं निस्तारण हेतु प्रत्येक गोदाम केन्द्र पर कम्प्यूटरीकृत इन्ट्रीज की व्यवस्था;

iv समस्त शासकीय एजेंसियों के गोदाम/कैप के उपयोग करने के पश्चात यदि किसी जिले में अतिरिक्त भण्डारण क्षमता की आवश्यकता है तो इसे राज्य भण्डारण एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा;

v अस्थायी कैप की आवश्यकता पर इनके निर्माण एवं संचालन का कार्य राज्य भंडारण एजेंसी द्वारा किया जायेगा;

vi राज्य/जिला स्तरीय भंडारण कार्ययोजना का अनुमोदन क्रमशः राज्य/ जिला स्तरीय उपार्जन समिति से प्राप्त

किया जाएगा। संभाग स्तरीय जिसमें जिला स्तर पर क्षेत्रीय प्रबंधकों की रेण्डम परीक्षण रिपोर्ट ली जाएगी; तथा

vii जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष- कलेक्टर अपरिहार्य स्थिति में प्रबंध संचालक, MPWLC के संज्ञान में लाते हुए निर्णय ले सकते हैं ।

10.2. भण्डारण हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 12(2)(छ) के उद्देश्य अनुसार विकेन्द्रीकृत संग्रहण एवं स्थानीय वितरण को बढ़ावा देते हुए एवं सरप्लस की दशा में FCI के परिदान हेतु दूरी के नियमों को केन्द्र-बिन्दु में रखते हुए किया जाएगा। उपार्जन अवधि में अधिक से अधिक सरप्लस स्कन्ध की प्रदायगी भारतीय खाद्य निगम को सुनिश्चित की जाएगी।

10.3. प्रत्येक केन्द्र के अनुमानित उपार्जन मात्रा के भण्डारण कार्ययोजना हेतु विस्तृत निर्देश प्रबंध संचालक,MPWLC द्वारा अनुमोदन प्राप्त कर जारी निम्नानुसार मार्गदर्शी सिद्धात पर किए जाएंगे:-

i प्रत्येक जिले, विकासखण्ड एवं ग्राम पंचायत का legacy data से वार्षिक PDS वितरण डिमांड तथा उपार्जन के अनुरूप सरप्लस एवं डेफिसिट की मेक्रो स्थिति देखी जावें;

ii जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर वितरण एवं परिदान हेतु पृथक पृथक गोदाम चिन्हित करें;

iii प्रत्येक वितरण वाले गोदामों की PDS वार्षिक मात्रा को ध्यान में रखते हुए FPS से इस प्रकार मैप करें जिससे यथासंभव acquisition, distribution एवं द्वार प्रदाय योजना में मूवमेंट कम से कम हो;

iv प्रत्येक परिदान गोदाम को PDS एवं FCI (परिदान दूरी नियम के अधीन) श्रेणीकृत किया जाए। PDS गोदामों को सरप्लस से डेफिसिट FPS हेतु चिन्हित गोदाम को न्यूनतम परिवहन व्यय के आधार पर मैप किया जाएगा; तथा

v जिला उपार्जन समिति से अनुमोदित होने के उपरांत इस संग्रहण कार्य योजना में कोई बदलाव नहीं हो सकेगा। कोई भी मैपिंग परिवर्तन MPWLC द्वारा MPSCSC से परामर्श, जो कि लाभ हानि का आंकलन करने के उपरांत तय हो, किया जा सकेगा;

10.4. भण्डारण कार्य योजना के लिए अनुमानित भण्डारण क्षमता का आंकलन निम्नानुसार किया जाये:-

i विकासखण्ड को भण्डारण हेतु इकाई माना जावेगा;

ii शासकीय गोदामों में भण्डारण क्षमता 125% तक तथा JVS में 75% की "मैपिंग जा सकेगी; तथा

iii जिन गोदामों में उपार्जन केन्द्र स्थापित होगा, वे भी "मैपिंग" में सम्मिलित होंगे।

iv PDS गोदाम हेतु सामान्यत: रिक्त भण्डारण क्षमता 500 मी.टन तथा परिदान गोदाम हेतु 2000 मी.टन होगी;

v खरीदी केन्द्र से एक ही श्रेणी के गोदाम (0.5 किमी के भीतर) एक से अधिक उपलब्ध होने की स्थिति में जिला स्तरीय समिति द्वारा 'लाटरी पद्धति' से प्राथमिकता क्रम निर्धारित करेगी।

10.5. परिवहन व्यय को सीमित करने तथा उपार्जन करने एवं उपार्जन स्थल पर मैकेनाइज्ड सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से भण्डारण स्थलों पर निम्न व्यवस्थाएं भी की जावे:-

i इलेक्ट्रानिक तौल (वे-ब्रीज) के साथ-साथ बोडर की सुविधा उपलब्ध हों;

ii FCI परिदान वाले गोदामों के लिए स्टील सायलों, सायलों बैग, मैकेनाइज्ड गोदाम वाले केन्द्र से सबद्ध हों;

iii उपार्जन केन्द्र वाले गोदामें को पृथक से किए गए अनुबंध अनुसार अतिरिक्त राशि देय होगी:-

क. गोदाम का कवर्ड कैम्पस हो, परिसर में तुलाई, भराई तथा वाहन के लिए पर्याप्त खुला स्थान तथा परिसर तक आने जाने का सुगम रास्ता BT या WBM रोड हो;

ख. डाटा कनेक्टिविटी तथा इंटरनेट की सुविधा हो, साथ ही WHR जारी करने एवं डिपाजिट फार्म भरने के लिए कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवाएं उपलब्ध हों;

ग. परिसर में पेयजल, शौचालय, प्रकाश आदि की व्यवस्था हो।

10.6. भंडारण के समय CSMS से डिपाजिट पत्रक जारी जारी होने के 36 घण्टे के अंदर शाखा प्रबंधक,MPWLC द्वारा स्टेकवार, संस्थावार एवं ट्रकवार WHR जारी करना होगा। समय सीमा में डिपाजिट पत्र, WHR जारी नहीं होने पर संबंधित कर्मचारियों के विरूद्ध उपार्जन/भंडारण एजेंसियों द्वारा आर्थिक दंड लगाया जा सकेगा।

10.7. पक्के कैप में भण्डारण हेतु अंतर एजेंसी समन्वय के लिए निम्न व्यवस्था है:-

i जिन जिलों में गोदाम/कैप स्थित हैं उसी जिले के उपज को भण्डारण का प्रथम अधिकार होगा;

ii यदि किसी अन्य जिले में भण्डारण किया जाना है तो उपार्जन करने वाली एजेंसी ही डिपाजिट करेगी;

iii मंडीबोर्ड द्वारा निर्मित स्थायी केप में भण्डारित स्कंध की हैण्डलिंग राज्य भंडारण एजेंसी एवं म.प्र.वेयरहाउसिंग एण्ड लाजिस्टिक्स कार्पोरेशन द्वारा की जावेगी;

iv समस्त शासकीय एजेंसियों के गोदाम/कैप के उपयोग करने के पश्चात यदि किसी जिले में अतिरिक्त भण्डारण क्षमता की आवश्यकता है तो इसे राज्य भण्डारण एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा;

v अस्थायी कैप बनाने की आवश्यकता पर यह कार्य राज्य भंडारण एजेंसी द्वारा किया जायेगा; तथा

10.8. राज्य भण्डारण एजेंसी के प्रबंध संचालक से परामर्श कर जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष, जिला कलेक्टर आपातकालीन स्थिति में भण्डारण के बिन्दु पर निर्णय ले सकते हैं ।

संयुक्त भागीदारी योजना

10.9. उपार्जित स्कंध की भण्डारण व्यवस्था हेतु MPWLC द्वारा निजी,सहकारी क्षेत्र एवं सभी संस्थाओं के गोदाम "संयुक्त भागीदारी योजना" में लेने हेतु पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाकर JVS योजना तैयार की जावेगी जिसके प्रावधानों का अनुपालन सभी संबंधित संस्थाओं के लिए बंधनकारी होगें ।

10.10. उपार्जित स्कंध की भण्डारण व्यवस्था हेतु MPWLC द्वारा निजी/सहकारी क्षेत्र के गोदाम "संयुक्त भागीदारी योजना" में लेने हेतु पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाकर JVS योजना तैयार की जावेगी जिसके प्रावधानों का अनुपालन सभी संबंधित संस्थाओं के लिए बंधनकारी होगें । इस हेतु एक विस्तृत अनुबंध प्रबंध संचालक, MPWLC के द्वारा JV गोदाम स्वामियों से किया जायेगा। JV गोदाम लेने हेतु मुख्य सिद्धांत निम्नानुसार होंगे :-

i गोदाम परिसर की न्यूनतम रिक्त भंडारण क्षमता यथासंभव 2,000 मे.टन तथा गोदाम यूनिट 500 मै0टन रखी जावें, मोटा अनाज हेतु पीडीएस में वितरण के दृष्टिकोण से भंडारण क्षमता शिथिल करने का अधिकार MD MPWLC का होगा।

ii गोदाम परिसर जिसमें निम्न अर्हताऐं पूर्ण होगी, उनकी अन्य JVS गोदामों से प्राथमिकता पहले रहेगी:-

क. भण्डारण क्षमता 5000 मे.टन;

ख. इलेक्ट्रानिक वेब्रिज (धर्मकांटा);

ग. गोदाम की बाउण्ड्री वॉल; एवं प्रत्येक गेट पर अंदर की ओर जालीदार गेट

10.11. ई-उपार्जन एवं समानान्तर साफ्टवेवयर यथा CSMS एवं WHMS में भण्डारण हेतु निम्न व्यवस्थाएं दी जावेगी:-

i DSO लॉगिन पर भण्डारण केन्द्रों की मैपिंग व्यवस्था जिसमें उपार्जन केन्द्र वाले गोदाम अलग उपश्रेणी हों;

ii कलेक्टर लॉगिन पर जिले की भण्डारण कार्ययोजना बनाने की व्यवस्था/RM login से सत्यापन एवं राज्य स्तर पर रिपोर्ट में संकलन की व्यवस्था;

iii 'एक ट्रक-एक परिवहन चालान- एक स्वीकृति पत्रक- एक डिपोजिट फार्म- एक WHR' व्यवस्था;

iv WHR का आगे निस्तारण की व्यवस्था से संशोधन;

v स्वीकृति पत्रक को संस्था के परिवहन मूवमेंट आदेश के 48 घण्टे उपरांत तक तथा WHR को अगले 48 घण्टें की उपरांत जारी नही होने पर ब्लाक करने की व्यवस्था;

vi समय सीमा में स्वीकृति पत्रक, डिपोजिट फार्म अथवा WHR जारी नहीं होने पर संबंधित कर्मचारियों की ट्रेल जिससे उनके विरूद्ध उपार्जन/भंडरण एजेंसियों द्वारा आर्थिक दंड लगाया जा सकें; तथा

vii भण्डारण स्टेक समितिवार लगाए जायेगे जिससे स्वीकृति पत्रक/WHR सरलता से चिन्हित हो सकेंगे तथा ऐसा न करने पर छटाई का व्यय भण्डारण एजेन्सी को वहन करना होगा।

10.12. ऐसे शासकीय एजेंसियों एवं निजी गोदाम जिसमें वे-ब्रीज, पक्की सड़क, गेट जैसी निर्धारित सुविधाए होंगी, उन्हें अन्य गोदामों से प्राथमिकता रहने के साथ-साथ उच्च उपयोग शुल्क एवं गारंटी का प्रावधान होगा, जिसका निर्धारण राज्य शासन द्वारा पृथक से किया जाएगा।

10.13. जिलेवार भंडारण कार्ययोजना राज्य भंडारण एजेंसी द्वारा संकलित कर इसे राज्य स्तरीय उपार्जन समिति के समक्ष किया जाएगा:-

i उपार्जन एवं भंडारण एजेंसी जिले में उपार्जित गेहूं के भंडारण की व्यवस्था को भंडारण कार्य योजना अनुसार लागू करने हेतु उत्तरदायी होगी;

ii भंडारित उपज की सुरक्षा की पूरी व्यवस्था का उत्तरदायित्व भंडारण एजेंसी का होगा; तथा

iii अपरिहार्य स्थिति में MPWLC मैपिंग में परिवर्तन करने का अनुमोदन दे सकेंगे।

10.14. जिन केन्द्रो पर परिवहन नहीं किया जाना है वहां TC के स्थान पर हैण्डलिंग चालान उपार्जन सस्था द्वारा जारी किया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया ट्रांसपोर्टेशन प्रोटोकाल का भाग रहेगी।

i गोदाम स्तरीय (परिवहन रहित) उपार्जन की दशा में एक हैण्डलिंग चालान, एक स्वीकृत पत्रक, एक डिपाजिट फार्म, एक WHR व्यवस्था रहेगी,

ii गोदाम स्तरीय उपार्जन केन्द्र, जिनमें स्कंध के भण्डारण हेतु जिला उपार्जन समिति अनुसार पृथक से परिवहन की आवश्यकता नहीं है वहां संस्था द्वारा सीधे गोदाम में भण्डारण कराया जा सकेगा। गोदाम संचालक यह व्यवस्था बनावेगें कि संस्था से standeard वजन अनुसार भर्ती की जा रही, जिसकी पुष्टी हेतु वे सामान्यत: 10 प्रतिशत या जो उचित समझें की तौल पुन: की जावेगी; तथा

iii ऐसे भण्डारण स्थल जहां धर्मकांटा की दूरी अधिक होने की कठिनाई से भण्डारण में होने वाली समस्या के प्रकरणवार निराकरण शासन के मापदण्ड के अनुरूप संचालक, खाद्य द्वारा किया जाएगा।

10.15. गोदाम स्तर पर गोदाम प्रभारी द्वारा निम्न कार्यवाही की जाएगी:-

iv परखी लगाकर क्वालिटी चेक तथा नॉन FAQ क्वालिटी होने पर रिकार्ड करते हुए पृथक भण्डारण तथा संबंधित उपार्जन एजेंसी/समिति को सूचना दी जाए;

v बोरों पर निर्धारित स्याही से समिति का नाम, कोड स्क्रीन प्रिंटिंग से अंकित न होने पर परिवहनकर्ताओं को वापस करना एवं उत्पाद को प्राप्त न करना;

vi बोरों की सिलाई व टैंगिंग निर्धारित धागें से हुई है। बोरों का वजन सहीं रिकार्ड हो; तथा

vii बिना स्टेंसिल, स्लिप (टेग) एवं संस्था कोड सील न लगे हुए बोरे गोदाम पर गाह्य न किये जाये।

11. प्रचार प्रसार, कर्मचारी एवं संस्थाओं की भूमिका निर्धारण, उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण

प्रचार-प्रसार

11.1. MPSCSC द्वारा प्रचार-प्रसार की कार्ययोजना निम्न सम्मिलित तैयार की जाएगी:-

i पंजीयन एवं उपार्जन में कठिनाईयां एवं बाधाएं न्यून करने के उद्देश्य से आवेदन फार्म आदि की जानकारी, ग्राम स्तर तक प्रक्रिया एवं कोटवारों के माध्यम से प्रसारित कराई जावें;

ii किसानों की पहचान सुनिश्चित करने हेतु आधार नंबर आवश्यक होंगे, जिनके पास आधार नहीं है, उन्हें आधार पंजीयन कराकर ई-आईडी नंबर उपलब्ध कराने हेतु अवगत कराया जाए। जिन किसानों द्वारा आधार पंजीयन करा लिया गया है किन्तु उनकों आधार नंबर प्राप्त नहीं हुए है, ऐसे आधार नम्बर की खोज किसान द्वारा इंटरनेट कैफे पर जाकर UIDAI के पोर्टल से ज्ञात की जा सकती है,

iii बोई फसलों की प्रविष्टियां सही रूप मे भू-अभिलेख 'गिरदावारी एप' में कराये, पुष्टि के लिए भू-अभिलेख रिकार्ड समय पर देखें तथा त्रुटि पर प्रविष्टि सुधार के लिए तहसीलदार को आवेदन करें, तथा

iv भीड़ एवं कठिनाईयों से बचने हेतु किसान पंजीयन एवं उपार्जन के लिए निर्धारित तिथि में ही केन्द्र पर आयें।

11.2 प्रचार-प्रसार हेतु प्रत्येक स्तर पर उपार्जन एजेंसियों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही निम्नानुसार है:-

i रेडियों एवं प्रिन्ट मीडिया पर विज्ञापन आदि ,

ii विगत रबी एवं खरीफ के पंजीयन में जिन किसानों के मोबाइल नम्बर उपलब्ध हैं उन्हें SMS से सूचित करना,

iii ग्राम में डोंडी पिटवा कर तथा पंचायतों के सूचना पटल पर सूचना प्रकाशित करना, तथा

iv संस्था/मण्डी स्तर पर सूचना देने के लिए बैनर, ब्रोशर एवं दूरभाष नम्बर द्वारा सूचित करना।

उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण

11.3. राज्य उपार्जन एजेंसी उपार्जन से संबंधित समस्त सूचना का प्रचार-प्रसार करते हुये पंजीयन एवं उपार्जन कर्मियों का प्रशिक्षण सुनिश्चित करें। MPSCSC द्वारा विशेष रूप से निम्न प्रशिक्षण राज्य/जिला स्तर पर किये जाएगे:-

i संस्था प्रबंधक एवं केन्द्र प्रभारी का प्रबंधन, लेखा, गुणवत्ता एवं बेसिक कम्प्यूटरीकरण का प्रशिक्षण;

ii केन्द्र के डाटा इन्ट्री ऑपरेटर का पंजीयन, उपार्जन, Day Closure Report, R2T, परिवहन एवं JIT द्वारा दावें एवं भुगतान ऑनलाइन करने का प्रशिक्षण;

iii परिवहनकर्ताओं एवं उनके डाटा इन्ट्री ऑपरेटर का ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल का प्रशिक्षण;

iv गोदाम मालिकों एवं भण्डार गृहों से जारी एवं release होने वाले स्कंध का WHR जारी करने का प्रशिक्षण;

v नापतौल निरीक्षकों का प्रशिक्षण;

vi प्रत्येक स्तर के गुणवत्ता नियत्रंकों का प्रशिक्षण;

vii लेखा कर्मियों का प्रशिक्षण;

viii उपार्जन एजेंसी के कर्मी/अधिकारियों का प्रशिक्षण;

ix भण्डारण एजेंसी के कर्मी/अधिकारियों का प्रशिक्षण (MPWLC) द्वारा; तथा

x सहकारिता, राजस्व, कृषि एवं DCCB के जिला अधिकारियों का उन्मुखरीकरण।

11.4. MD,MPSCSC द्वारा प्रशिक्षण की संस्थागत व्यवस्था बनाने के दृष्टिकोण से निम्न कार्यवाही की जाये :-

i राज्य एवं जिला स्तर पर गुणवत्ता सह उपार्जन प्रशिक्षण केन्द्र का चिन्हांकन करना;

ii राज्य एवं जिला स्तरीय गुणवत्ता स्त्रोत एवं मास्टर प्रशिक्षक नियोजित अथवा नामांकित करना;

iii प्रशिक्षक एवं उपयोग स्तर के लिए गुणवत्ता मार्गदर्शिका तैयार करना;

iv स्रोत प्रशिक्षकों एवं मास्टर ट्रेनर का उन्मुखीकरण;

v राज्य स्तर पर संबद्ध विभागों का उन्मुखीकरण एवं State Resource Person प्रशिक्षण;

vi जिला एवं मैदानी अमले, संस्था प्रबंधक, केन्द्र प्रभारी तथा गुणवत्ता सर्वेयर के प्रशिक्षण एवं certification की व्यवस्था करना; तथा

vii केन्द्र स्तरीय पर्यवेक्षण टीम हेतु मार्गदर्शिका तैयार करना एवं प्रशिक्षण देना।

पर्यवेक्षण एवं मॉनिटरिंग

11.5. पंजीयन एवं उपार्जन के समस्त प्रक्रिया, स्कंध की गुणवत्ता, पर्यवेक्षण तथा नीति के अंतर्गत कठिनाईयों का निराकरण करने हेतु राज्य एवं जिला स्तर पर उपार्जन समितियां उत्तरदायी होगी, जिसका स्वरूप **परिशिष्ट-2** अनुसार रहेगा।

11.6. राज्य स्तर से समय समय पर क्षेत्रीय भ्रमण हेतु अधिकारी शासन स्तर से भेजें जायेंगे।

11.7. जिला स्तर पर सघन पर्यवेक्षण एवं मॉनिटरिंग की व्यवस्था निम्नानुसार बनाई जाये:-

i जिलों में केन्द्र पर संसाधन एवं व्यवस्थाओं का सत्यापन करना;

ii केन्द्र पर प्रतिदिन एक कर्मी (कृषि/सहकारिता/खाद्य/राजस्व) की ड्यूटी लगाना; तथा

iii प्रत्येक केन्द्र या अधिकतम 3 उपार्जन केन्द्र के लिए टीम का गठन जिसमें एक केन्द्र हेतु नोडल कर्मी तथा उनकी सहायता के दो अन्य मैदानी सदस्य नियुक्त करना, जो कि निम्न के लिए उत्तरदायी होगे:-

क. उपार्जन प्रारंभ होने से पूर्व केन्द्र में उपलब्ध सुविधाओं का सत्यापन;

ख. किसान पंजीयन तथा सत्यापन के उपरांत ई-सॉफटवेयर में संशोधन की प्रगति;

ग. उपार्जन एवं उसकी गुणवता तथा समयावधि में कृषक भुगतान; तथा

घ. प्रचार-प्रसार, प्रशिक्षण एवं अन्य प्रशासनिक व्यवस्था।

11.8. अनाज उपार्जन अवधि के दौरान पड़ोसी राज्यों से उपार्जन केन्द्र पर लाई गई उपज की अवैध विक्रय को रोकने के लिये कलेक्टर निम्न कार्यवाही करेंगे:-

i सीमावर्ती इलाके में आवश्यक चेकिंग दल तैनात कर सघन पर्यवेक्षण करावें;

ii अवैधानिक तरीके अपनाकर अन्य राज्य से उपार्जन केन्द्रों में विक्रय हेतु आने वाला उत्पाद रोकें;

iii नामित दल का विवरण मय दूरभाष क्रमांक की जानकारी कन्ट्रोल रूम को भेजें; तथा

iv इस दल के द्वारा किए गए कार्य की साप्ताहिक रूप से समीक्षा करें।

11.9. अनुविभाग स्तर के लिए राजस्व, कृषि, सहकारिता विभाग एवं भारतीय खाद्य निगम/ उपार्जन संस्था के प्रतिनिधियों का दल कलेक्टर द्वारा गठित किया जाए। यह दल खरीदी केन्द्रो का आकस्मिक निरीक्षण कर सुनिश्चित करेंगे कि खरीदी केन्द्रो पर बिक्री हेतु आ रहा अनाज निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुसार ही खरीदा जा रहा है एवं उसके संबंध में क्रेता/विक्रेता के विवादों का निराकरण भी करेंगे।

कठिनाईयों का निराकरण

11.10. पंजीयन एवं उपार्जन में आने वाली तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए निम्न व्यवस्था बनाई जावेगी:-

i जिला स्तर पर कलेक्टर द्वारा जिला सूचना अधिकारी,NIC, जिला ई-गर्वनेंस मेनेजर, द्वार प्रदाय योजना का एक कुशल आपरेटर एवं संस्था स्तर के दो कुशल डाटा इन्ट्री आपरेटर के साथ तकनीकी सेल का गठन किया जाये;

ii राज्य स्तर पर भी संचालक, खाद्य द्वारा तकनीकी सेल का गठन किया जाए, जो कि समस्त तकनीकी Trouble Shooting के लिए उत्तरदायी होगा; तथा

iii उपार्जन संबंधी शिकायतें CM Helpline portal पर दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध रहेगी एवं इसकी सभी स्तरों पर सघन मॉनीटरिंग की जाएगी।

11.11. जिला स्तरीय समिति, उपार्जन संबंधी समस्त विवादों का अंतिम निराकरण तथा उपार्जित स्कंध की गुणवत्ता की निगरानी करेगी। सभी कलेक्टर अपने जिले में उपार्जन संबंधी सभी विषयों के लिए जिले के एक वरिष्ठ अधिकारी को (अपर कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्तर के अधिकारी) "single point of contact" के रूप में नियुक्त करेंगे, जो कि राज्य स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों से सीधे सम्पर्क में रहेगा।

11.12. उपार्जन कार्य सतत् रूप से बिना बाधा के चले इस हेतु राज्य स्तरीय कन्ट्रोल रूम खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, विन्ध्याचल भवन में निम्नानुसार स्थापित किया जायेगा:-

i कन्ट्रोल रूम का दूरभाष क्रमांक 0755-2551471 है;

ii यह दिनांक 15 जनवरी, 2019 से 15 जून, 2019 तक प्रातः 9.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक चालू रहेगा;

iii यह उपार्जन एजेंसियां/कलेक्टर्स/उपार्जन समितियां को उपार्जन अवधि में होने वाली समस्याओं के निदान करेगा;

iv ऐसी समस्या जिसके समाधान हेतु शासन स्तर पर कलेक्टर हस्तक्षेप आवश्यक समझे, उनके बारे में प्रतिवेदन संचालनालय खाद्य में स्थापित नियंत्रण कक्ष को dirfood@mp.nic.in पर e-mail भेजा जा सकता है।

11.13. प्रदेश के कृषकों द्वारा उपार्जन से संबंधित अपनी समस्याएं राज्य सरकार के टोल-फ्री नम्बर हेल्पलाईन नम्बर 181 पर की जा सकेंगी। हेल्पलाईन (कॉल सेन्टर) से प्राप्त होने वाली शिकायत/समस्याओं के निराकरण का दायित्व जिला आपूर्ति नियंत्रक/अधिकारी का होगा।

11.14. समस्त ऐसी समस्याऐं जिनका समाधान निर्धारित नीति/निर्देशों एवं प्रोटोकाल में प्रावधानित नहीं है, उन्हें संचालक, खाद्य द्वारा प्रमुख सचिव, खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से अनुमोदन उपरांत समाधान किया जायेगा।

संलग्न-उक्तानुसार।

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
मंत्रालय।

पृ. क्रमांक एफ 5-15(1-1क-2019)/2018/29-1, भोपाल, दिनांक 14, जनवरी, 2019

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय।
2. निज सचिव, माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, मंत्रालय।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय।
4. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय म.प्र. शासन, मंत्रालय।
5. कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय।
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, मंत्रालय।
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय।

8. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय।
9. आयुक्त म.प्र. भू-अभिलेख कार्यालय भोपाल।
10. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
11. प्रबंध संचालक, मण्डी बोर्ड, भोपाल।
12. आयुक्त एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं भोपाल।
13. संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, भोपाल।
14. प्रबंध संचालक, राज्य विपणन संघ मर्यादित, भोपाल।
15. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, भोपाल।
16. मिशन संचालक,समग्र समाजिक सुरक्षा मिशन मध्यप्रदेश।
17. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक (अपैक्स बैंक) भोपाल।
18. तकनीकी डायरेक्टर, एनआईसी, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
19. समस्त जिला आपूर्ति नियंत्रक/जिला आपूर्ति अधिकारी, मध्यप्रदेश।

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
मंत्रालय।

(परिशिष्ट-1)

रबी उपार्जन वर्ष 2019-20 में गेहूं उपार्जन की कार्ययोजना एवं समय-सीमा

क्र	कार्य	प्रकिया	उत्तरदायित्व	निर्धारित तिथि/ अंतिम तिथि
1	प्रबंधन तंत्र का गठन	जिला उपार्जन समिति का गठन	कलेक्टर	14 जनवरी 2019
		राज्य उपार्जन समिति का गठन	राज्य शासन	14 जनवरी 2019
		उपार्जन केन्द्रवार नोडल टीम का गठन	कलेक्टर	15 फरवरी 2019
		राज्य एवं जिला कन्ट्रोल रूम की स्थापना	संचालक, खाद्य -कलेक्टर- DSO	15 जनवरी 2019
		राज्य/जिला तकनीकी सपोर्ट सिस्टम की स्थापना	संचालक,खाद्य- कलेक्टर	
2	पंजीयन एवं उपार्जन केन्द्र स्थल, संस्था का निर्धारण	पंजीयन केन्द्रों की संख्या का जिलावार निर्धारण	संचालक खाद्य	14 जनवरी 2019
		पंजीयन केन्द्रों की संख्या का तहसीलवार निर्धारण	कलेक्टर- डीएसओ के माध्यम से	16 जनवरी 2019
		पंजीयन केन्द्रों के स्थान चयन तथा पंचायत मैपिंग		17 जनवरी 2019
		केन्द्र संचालन हेतु पात्र संस्थाओं से आवेदन प्राप्ति	कलेक्टर- DRCS एवं GM DCCB के माध्यम से	18 जनवरी 2019
		संस्था आवेदनों की संवीक्षा, चयन, एवं अनुबंध		19 जनवरी 2019
		पंजीयन केन्द्र- भौतिक/मानव संसाधन उपलब्धता		20 जनवरी 2019
		उपार्जन केन्द्र संख्या - जिला/तहसीलवार निर्धारण	संचालक खाद्य	25 फरवरी 2019
		उपार्जन केन्द्रों के स्थान चयन तथा पंचायत मैपिंग	कलेक्टर- डीएसओ के माध्यम से	28 फरवरी 2019
		उपार्जन केन्द्र पर माईश्चर मीटर, तौल कांटे एवं अन्य उपकरणों का कैलिब्रेशन एवं प्रमाणीकरण	कलेक्टर- जिला नापतौल अधिकारी- GMDCCB	5 मार्च 2019
		उपार्जन केन्द्र- भौतिक/मानव संसाधन उपलब्धता निर्देश	कलेक्टर- DRCS एवं GM DCCB के माध्यम से	5 मार्च 2019
		उपार्जन केन्द्र पर भौतिक सुविधाए एवं मानव संसाधन आदि की उपलब्धता का सत्यापन	कलेक्टर- अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से	15 मार्च 2019
3	कृषक पंजीयन, सत्यापन एवं उपार्जन	किसान पंजीयन	कलेक्टर- समितियों के माध्यम से	21जनवरी-23 फरवरी 2019
		कृषक सत्यापन	कलेक्टर- भू-अभिलेख शाखा के माध्यम से	2 मार्च 2019
		उपार्जन	कलेक्टर- समितियों के माध्यम से	25मार्च-24मई 2019
4	साफ्टवेयर एप्लीकेशन में आवश्यक प्रावधान, निर्देश एवं मास्टर ट्रेनर्स/ जिला स्तरीय टीम तक उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण	Procurement Centre Protocol	संचालक, खाद्य	25 जनवरी 2019
		Farmer Registration & Verification Protocol with SMS	संचालक, खाद्य - SIO,NIC	21 जनवरी 2019
		बारदाना उपयोग का प्रोटोकाल	प्रबंध संचालक MPSCSC- SIO, NIC	28 जनवरी 2019
		परिवहन प्रोटोकाल एवं परिवहनकर्ता के डिजीटल सिग्नेचर की स्थापना एवं अनुमोदन	प्रबंध संचालक MPSCSC/ राज्य सूचना अधिकारी NIC	04 फरवरी 2019
		अंडारण प्रोटोकाल मय भण्डारण कार्ययोजना	प्रबंध संचालक MPWLC/ NIC	11 फरवरी 2019
		उपार्जन प्रोटोकाल जिसमे औसत उपज, कृषक टोकन, तौल पत्रक, R2T,Day Closure Protocol एवं Exit Protocol शामिल होगा	संचालक, खाद्य- SIO,NIC	18 फरवरी 2019
		भुगतान व्यवस्था जिसमें कृषक, संस्था, परिवहनकर्ता, अंतर एजेंसी एवं भण्डारकर्ता संव्यवहार सम्मिलित हो, "JUST IN TIME"	प्रबंध संचालक MPSCSC/ - SIO,NIC	25 फरवरी 2019
		Accounts Protocol जिसमें GoI एवं FCI के क्लेम भी सम्मिलित हों	प्रबंध संचालक MPSCSC	5 मार्च 2019
5	गुणवत्ता प्रबंधन	संस्था के गुणवत्ता नियंत्रकों का नामांकन/नियोजन	कलेक्टर	5 मार्च 2019
		उपार्जन एवं भण्डारण एजेंसी के द्वारा गुणवत्ता नियंत्रकों का नियोजन/ नामांकन	संबंधित प्रबंधक संचालक	5 मार्च 2019

6	प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण	राज्य एवं जिला स्तर पर गुणवत्ता सह उपार्जन प्रशिक्षण केन्द्र का चिन्हांकन करना	प्रबंध संचालक MPSCSC मार्कफेड एवं जिला प्रबंधक /जिला विपणन अधिकारी	25 जनवरी 2019
		राज्य एवं जिला स्तरीय गुणवत्ता स्त्रोत एवं मास्टर प्रशिक्षक नियोजित अथवा नामांकित करना		25 जनवरी 2019
		गुणवत्ता मार्गदर्शिका एवं निर्देश बनाना		4 फरवरी 2019
		प्रशिक्षक एवं उपयोग स्तर के लिए गुणवत्ता मार्गदर्शिका तैयार करना		30 जनवरी 2019
		स्रोत प्रशिक्षकों एवं मास्टर ट्रेनर का उन्मुखीकरण		4 फरवरी 2019
		राज्य स्तर पर संबद्ध विभागों का उन्मुखीकरण एवं State Resource Person प्रशिक्षण		18 फरवरी 2019
		जिला एवं मैदानी अमले, संस्था प्रबंधक, केन्द्र प्रभारी तथा गुणवत्ता सर्वेयर के प्रशिक्षण एवं certification की व्यवस्था करना		11 मार्च 2019
		केन्द्र स्तरीय पर्यवेक्षण टीम हेतु मार्गदर्शिका तैयार करना एवं प्रशिक्षण देना		4 फरवरी 2019
7	परिवहन प्रबंधन	परिवहन सेक्टर का निर्धारण एवं उपार्जन केन्द्र की मैपिंग	MD,MPSCSC, MD,MARKFED एवं DM/DMO	14 जनवरी 2019
		सेक्टरवार परिवहनकर्ता का नियोजन	MD,MPSCSC, MD,MARKFED	25 फरवरी 2019
		परिवहनकर्ताओं की मैपिंग उपार्जन केन्द्रों से करना तथा उनका प्रशिक्षण	MD,MPSCSC, MD,MARKFED एवं DM/DMO	4 मार्च 2019
8	भण्डारण व्यवस्था	भण्डारण केन्द्रों की आवश्यकता वाले स्थानों का निर्धारण - PDS/FPS परिदान/ FCI परिदान	प्रबंध संचालक MPWLC, MD,MPSCSC के सहयोग से	28 जनवरी 2019
		जिले की प्रारंभिक भण्डारण कार्ययोजना बनाना	कलेक्टर - जिला उपार्जन समिति	15 फरवरी 2019
		भण्डारण केन्द्रों की मैपिंग उपार्जन केन्द्रों से करना	DSO/DSC	04 मार्च 2019
		जिले की भण्डारण कार्ययोजना अंतिम करना	कलेक्टर - जिला उपार्जन समिति	11 मार्च 2019
9	वित्तीय व्यवस्था मय किसानों को भुगतान	प्रावधानिक लागत पत्रक जारी करना	राज्य शासन	उपार्जन प्रारंभ पूर्व
		केन्द्र स्तर के विभिन्न् राशियों की दर	संचालक, खाद्य	उपार्जन प्रारंभ पूर्व
		केन्द्र के अंतरिम/अंकेक्षण के दावे प्रस्तुति की प्रक्रिया	MD,MPSCSC एवं आयुक्त सहकारिता के आपसी परामर्श से	4 फरवरी 2019
		उन्मुखीकरण/ प्रशिक्षण हेतु मापदण्ड	MD,MPSCSC एवं MD,MARKFED के परामर्श से	11 फरवरी 2019
		केन्द्र स्तर प व्यय लेखा संधारण के स्थायी निर्देश	MD,MPSCSC	18 फरवरी 2019
		संस्थाओं की ऑडिट एवं अकांटिक गाइडलाइन	आयुक्त सहकारिता- MD,MPSCSC MARKFED के परामर्श से	18 फरवरी 2019
		उपार्जन एजेंसियों का efficiency Parameter पर राज्य शासन से MOU	राज्य शासन- उपार्जन एजेंसियां	4 फरवरी 2019
		उपार्जन एजेंसियों के आपसी वित्तीय व्यवहार एंव लेनदेन के स्थायी निर्देश एवं आपसी MOU	MD,MPSCSC/MARKFED एवं MD,MPWLC के परामर्श	28 जनवरी 2019
		पंजीकृत किसानों के बैंक खातों का सत्यापन	प्रबंध संचालक MPSCSC/ मार्कफेड/ GM DCCB	4 मार्च 2019
		साख सीमा एवं नगद पर्याप्तता-DLCC की बैठक	कलेक्टर	11 मार्च 2019
		उपार्जन एजेंसियों को बैंक ऋण हेतु साख सीमा	राज्य शासन	25 फरवरी 2019
		लेखा मिलान एवं अंकेक्षण के प्रासंगिक व्यय के संबंध में निर्देश जारी करना	आयुक्त सहकारिता	15 फरवरी 2019
		कृषकों को सामयिक भुगतान की समीक्षा	कलेक्टर	साप्ताहिक

(परिशिष्ट-2)

राज्य स्तरीय उपार्जन समिति

i	संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण।	अध्यक्ष
ii	आयुक्त एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं म.प्र. के प्रतिनिधि	सदस्य
iii	आयुक्त, संस्थागत वित म.प्र. प्रतिनिधि	सदस्य
iv	आयुक्त संचालक, कृषि के प्रतिनिधि	सदस्य
v	आयुक्त, भू-अभिलेख के प्रतिनिधि	सदस्य
vi	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पो.	सदस्य
vii	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन	सदस्य
viii	प्रबंध संचालक एवं आयुक्त, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड	सदस्य
ix	प्रबंध संचालक, अपैक्स बैंक	सदस्य
x	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ	सदस्य
xi	राज्य सूचना अधिकारी NIC	सदस्य

जिला स्तरीय उपार्जन समिति

i	कलेक्टर	अध्यक्ष
ii	जिला लीड बैंक अधिकारी	सदस्य
iii	उप संचालक कृषि	सदस्य
iv	उपआयुक्त/सहायक आयुक्त, सहकारी संस्थाएं	सदस्य
v	जिला सूचना अधिकारी, NIC	सदस्य
vi	महाप्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक	सदस्य
vii	जिला विपणन अधिकारी, MARKFED	सदस्य
viii	MPWLC की जिला मुख्यालय की शाखा के प्रबंधक	सदस्य
ix	जिला प्रबंधक MPSCSC	सदस्य
x	अधीक्षक भू-अभिलेख	सदस्य
xi	सचिव कृषि उपज मण्डी (जिला मुख्यालय की मण्डी के)	सदस्य
xii	जिला आपूर्ति नियंत्रक/जिला आपूर्ति अधिकारी	सदस्य सचिव